

અધ્યાય 2

રાજ્ય આબકારી/બિક્રિયોં, વ્યાપાર
પર કર/વૈટ

अध्याय-2

राज्य आबकारी/बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

राज्य आबकारी

2.1 (क) कर प्रबंधन

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग सरकार के स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख हैं तथा आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) विभागाध्यक्ष हैं। आबकारी एवं कराधान आयुक्त को मुख्यालय पर कलेक्टर (आबकारी) द्वारा तथा फील्ड में राज्य आबकारी अधिनियमों/नियमों के समुचित प्रबंधन के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी) {डी.ई.टी.सी. (आबकारी)}, सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ए.ई.टी.ओ.), निरीक्षकों एवं अन्य सहायक स्टाफ द्वारा सहयोग दिया जाता है।

2.1 (ख) लेखापरीक्षा के परिणाम

2023-24 में, 2023-24 के दौरान राज्य आबकारी विभाग की 105 इकाइयों में से 19 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 1,761 मामलों में ₹ 203.17 करोड़ से संबंधित आबकारी शुल्क/लाइसेंस फीस/ब्याज/पेनल्टी की अवसूली/कम वसूली तथा अन्य अनियमितताएं प्रकट हुई, जो तालिका 2.1 में दर्शाई गई श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं।

तालिका 2.1: लेखापरीक्षा के परिणाम

राजस्व			
क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	परमिट की मात्रा से कम पास जारी करने के कारण हानि	25	81.19
2.	कम उठान/ब्याज/लाइसेंस फीस/पेनल्टी आदि के कारण बकाया की वसूली न होना	279	54.37
3.	नीति वर्ष के अंत में स्टॉक का अद्यतन न करने के कारण हानि	62	47.96
4.	विविध/अन्य अनियमितताएं	1,395	19.65
	योग	1,761	203.17

विभाग ने वर्ष के दौरान इंगित किए गए 490 मामलों में आवेष्टित ₹ 44.70 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की। विभाग ने वर्ष 2023-24 के दौरान पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित एक मामले में ₹ 1.00 लाख वसूल किए।

बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

2.2 (क) कर प्रबंधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (एच.वी.ए.टी. एक्ट)¹ तथा उसके अधीन बनाए गए नियम अपर मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान) द्वारा लागू किए जाते हैं। आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रमुख हैं, अपर आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ए.ई.टी.सी.), संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (जे.ई.टी.सी.), उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (डी.ई.टी.सी.) और आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ई.टी.ओ.) द्वारा उनको सहयोग दिया जाता है। संबंधित कर कानूनों और नियमों को लागू करने के लिए आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों और अन्य सहायक कर्मचारियों द्वारा उनको सहयोग दिया जाता है।

2.2 (ख) लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2023-24 में, वैट/बिक्री कर निर्धारण से संबंधित 46 इकाइयों में से 16 इकाइयों (14 राजस्व और दो व्यय) के अभिलेखों की नमूना-जांच में 194 मामलों में ₹ 466.99 करोड़ से संबंधित अवनिर्धारण/कर के अपवंचन तथा अन्य अनियमितताएं प्रकट हुईं जो तालिका 2.2 में दर्शाई गई निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं।

तालिका 2.2: लेखापरीक्षा के परिणाम

राजस्व			
क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	“वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के तहत कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं” पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस.एस.सी.ए.)	1	393.90
2.	इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) की अनियमित/गलत/ अधिक अनुमति	77	29.30
3.	कर का अवनिर्धारण	43	14.80
4.	बिक्रियों/खरीदों के छिपाव के कारण करों का अपवंचन	16	13.87
5.	दोषपूर्ण सांविधिक ‘फार्मों’ की स्वीकृति	19	1.82
6.	अन्य अनियमितताएं	36	13.30
	योग (I)	192	466.99
व्यय			
1.	अन्य अनियमितताएं	2	0.00
	योग (II)	2	0.00
	कुल योग (I+II)	194	466.99

¹ यद्यपि वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था, फिर भी वर्ष 2017-18 के अंत में मूल्य वर्धित कर (वैट) के निर्धारण के बड़ी संख्या में मामले लंबित थे। सितंबर 2015 में, एचवीएटी अधिनियम की धारा 17 के तहत संशोधन के माध्यम से, कर-निर्धारण प्राधिकारी (ए.ए.) उस वर्ष की समाप्ति के आठ वर्ष पूरे होने से पहले या उस वर्ष का कर-निर्धारण अंतिम होने की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति से पहले (जो भी बाद में हो), उस डीलर की कर देयता का पुनः कर-निर्धारण कर सकता है। इस प्रकार, 2017-18 में समाप्त होने वाले मामलों को 2024-25 तक फिर से खोला जा सकता है। वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा किए गए वैट मामलों को इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

विभाग ने वर्ष के दौरान इंगित किए गए 125 मामलों में ₹ 442.31 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की, जिनमें से ₹ 0.04 करोड़ की राशि वसूल कर ली गई है।

₹ 415.68 करोड़ से आवेष्टित महत्वपूर्ण मामलों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.3 वस्तु एवं सेवा कर के तहत कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

2.3.1 प्रस्तावना

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (एच.जी.एस.टी. अधिनियम) की धारा 2 (119) के तहत 'कार्य अनुबंध' का अर्थ है: "किसी भी अचल संपत्ति के निर्माण, संरचना, फेब्रिकेशन, पूर्णता, परिनिर्माण, स्थापना, फिटिंग, सुधार, संशोधन, मरम्मत, रखरखाव, नवीनीकरण, परिवर्तन या कमीशनिंग के लिए किया गया अनुबंध, जिसमें एक ऐसे अनुबंध के निष्पादन के दौरान माल (माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) के स्वामित्व का हस्तांतरण शामिल हो।" वस्तु एवं सेवा कर के तहत कार्य अनुबंध में माल के स्वामित्व का अनिवार्य हस्तांतरण शामिल होता है।

वस्तु एवं सेवा कर के तहत निर्माण सेवाओं के लिए सेवा लेखांकन कोड (एस.ए.सी.) 9954 है। इस शीर्ष के अंतर्गत आने वाली सेवाओं में भवनों का निर्माण (99541), सिविल इंजीनियरिंग कार्यों का सामान्य निर्माण (99542), साइट तैयार करने की सेवाएं (99543), पूर्व-निर्मित संरचनाओं का संयोजन और स्थापना (99544), विशेष व्यापार निर्माण सेवाएं (99545), स्थापना सेवा (99546) और भवन पूर्णता और फिनिशिंग सेवाएं (99547) शामिल हैं।

2.3.2 संगठनात्मक संरचना

राज्य कर आयुक्त हरियाणा में आबकारी एवं कराधान विभाग के समग्र प्रभारी हैं। यह विभाग राज्य में वस्तु एवं सेवा कर के साथ-साथ हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (एच.वी.ए.टी. अधिनियम) और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (सी.एस.टी. अधिनियम) का प्रबंधन करता है। कर प्रबंधन हेतु राज्य को पांच रेंजों और 27 कराधान जिलों में विभाजित किया गया है। जिला स्तर पर विभाग की फील्ड इकाइयों का नेतृत्व राज्य कर उपायुक्त (डी.सी.एस.टी.) द्वारा किया जाता है, उन्हें राज्य कर के आबकारी एवं कराधान अधिकारी (ई.टी.ओ.), राज्य कर के सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी (ए.ई.टी.ओ.) और कराधान निरीक्षक (टी.आई.) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

2.3.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा निम्नलिखित का आकलन करने के लिए आयोजित की गई थी:

- क्या कर प्रबंधन, कार्य अनुबंधों/निर्माण सेवाओं में शामिल करदाताओं द्वारा कर के उद्ग्रहण और संग्रहण तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने और उनके द्वारा किए गए कर छूट के दावों से संबंधित केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर/हरियाणा वस्तु एवं सेवा

कर/एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, नियमों, अधिसूचनाओं और निर्धारित प्रक्रियाओं के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में प्रभावी था; और

- ii) कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं से संबंधित करदाताओं की संवीक्षा और निर्धारण की प्रभावशीलता का आकलन करने हेतु विभागीय फील्ड इकाइयों (राज्य कर उप-आयुक्तों) के कार्यों का मूल्यांकन करना।

2.3.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कार्यप्रणाली

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं में लगे करदाताओं के रिटर्न और अभिलेखों की जांच शामिल थी, जिसमें विशेष रूप से निर्माण सेवाओं से संबंधित निम्नलिखित अनुपालनों पर ध्यान दिया गया:

- रिटर्न फाइल करना,
- स्व-निर्धारण कर का भुगतान,
- इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.),
- रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आर.सी.एम.) के तहत भुगतान किया गया कर,
- प्राप्त/उपयोग किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट, और
- आपूर्ति के स्थान/समय से संबंधित प्रावधान और हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अन्य प्रावधान।

फील्ड लेखापरीक्षा दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक आयोजित की गई थी। विभाग द्वारा रिटर्न की संवीक्षा की समीक्षा और करदाताओं के अभिलेखों के सत्यापन के अंतर्गत अप्रैल 2020 से मार्च 2022 की अवधि को शामिल किया गया, जबकि चयनित विभागीय फील्ड इकाइयों (डी.ई.टी.सी.) के कार्यों की लेखापरीक्षा में वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक की अवधि को शामिल किया गया।

फील्ड लेखापरीक्षा आरंभ होने से पहले, 8 अगस्त 2024 को राज्य कर आयुक्त, आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा सरकार के साथ एक एंटी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, नमूनों के चयन, लेखापरीक्षा के क्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई थी। मामला अप्रैल 2025 में विभाग के संज्ञान में और मई 2025 में सरकार के संज्ञान में लाया गया था। आयुक्त एवं सचिव, आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा सरकार के साथ 30 जून 2025 को एग्जिट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। ड्राफ्ट प्रतिवेदन पर विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तरों को प्रासंगिक अनुच्छेदों में उचित रूप से शामिल कर लिया गया है।

2.3.5 लेखापरीक्षा नमूना

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के दो अलग-अलग भाग हैं:

- (i) भाग I - करदाताओं के रिटर्न और संबंधित वित्तीय विवरणों की विस्तृत लेखापरीक्षा

(क) वित्तीय प्रासंगिकता:

वित्तीय प्रासंगिकता के आधार पर करदाताओं को उनके टर्नओवर के अनुसार शीर्ष 10 प्रतिशत करदाताओं को शामिल करते हुए चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। पांचवीं श्रेणी में शेष करदाता शामिल थे।

(ख) स्कोरिंग प्रणाली - जोखिम मापदंड

नमूना चयन के लिए 12 जोखिम मापदंडों के एक सेट पर विचार किया गया था, जिसका विवरण तालिका 2.3 में दिया गया है:

तालिका 2.3: जोखिम मापदंड

क्र.सं.	जोखिम मापदंड
1.	सेवा लेखा कोड (एस.ए.सी.) 99541 के मामले में नई निर्माण परियोजना की घोषणा न करना और पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं को न हटाना अर्थात् जहां आर.ई.जी.-06 में अधिभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुका है
2.	सामान्य दरों अर्थात् 18 प्रतिशत की तुलना में रियायती दरों (अर्थात् 1-1.5 प्रतिशत/5-7.5 प्रतिशत/12 प्रतिशत) पर भुगतान किए गए कर का अनुपात
3.	कुल कर योग्य मूल्य की तुलना में रियायती दरों (अर्थात् 1-1.5 प्रतिशत/5-7.5 प्रतिशत) पर भुगतान किए गए कर योग्य मूल्य का अनुपात और इसके सापेक्ष केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियमावली 2017 के नियम 42 एवं 43 के तहत रिवर्स किया गया या प्राप्त किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट
4.	जी.एस.टी.आर.-3बी में घोषित कर योग्य मूल्य की तुलना में जी.एस.टी.आर.-2ए की तालिका 9 में टी.डी.एस. क्रेडिट के मध्य विसंगति
5.	क) एच.एस.एन. 995433 (उत्खनन एवं मिट्टी हटाने संबंधी सेवाएं) के तहत प्राप्त छूट/रियायती दरें ख) एच.एस.एन. 99546 (इंस्टॉलेशन सेवाएं) के तहत ली गई छूट या रियायती दरें
6.	निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट
7.	शून्य दर/ छूट प्राप्त/गैर-जी.एस.टी. आपूर्ति/कुल जावक आपूर्ति का अनुपात
8.	भुगतान किए गए कर की तुलना में क्रेडिट नोट (कर) का अनुपात
9.	जी.एस.टी.आर.-3बी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत भुगतान किया गया कर शून्य है, या जी.एस.टी.आर.-1 का कुल कर योग्य मूल्य और जी.एस.टी.आर.-3बी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत आने वाली आवक आपूर्ति के मूल्य का अनुपात बहुत अधिक है
10.	प्राप्त किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की तुलना में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध भुगतान किए गए कर का अनुपात 20 प्रतिशत से कम है
11.	पंजीकरण की तिथि और पंजीकरण के तीन महीने के भीतर लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का मूल्य ₹ 20 लाख से अधिक है
12.	यह जांच करना कि क्या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट का सही ढंग से लाभ उठाया गया है?

प्रत्येक मानक को दिए गए जोखिम स्कोर के आधार पर, विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए आठ राज्य कर उप-आयुक्तों² में से 30 करदाताओं का चयन किया गया (परिशिष्ट 2.1)।

(ii) राज्य कर उप-आयुक्तों/विभागीय फील्ड इकाइयों की लेखापरीक्षा

विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चुने गए मामलों के नमूनों पर अधिकार क्षेत्र रखने वाली विभागीय फील्ड इकाइयों को, उनके कार्यों के मूल्यांकन हेतु फील्ड इकाइयों के नमूने के रूप में माना गया। रैंज से, एक से अधिक विभागीय फील्ड इकाई का चयन नहीं किया गया। इस प्रकार, विभाग में प्रचलित प्रणाली की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की लेखापरीक्षा के लिए पांच राज्य कर उप-आयुक्तों³ (विभागीय फील्ड इकाइयों) का चयन किया गया।

² अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद (पूर्व), गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (दक्षिण), हिसार, रेवाड़ी और सोनीपत।

³ अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद (पूर्व), गुरुग्राम (दक्षिण) और सोनीपत।

2.3.6 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंडों के स्रोतों में हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम और उनके तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधान शामिल थे। महत्वपूर्ण प्रावधान **तालिका 2.4** में दिए गए हैं।

तालिका 2.4: मानदंडों के स्रोत

सामान्य लेखापरीक्षा मानदंड		
क्र.सं.	लेखापरीक्षा दायरा	अधिनियम/नियम/अधिसूचना के प्रावधान
1	रिटर्न प्रस्तुत करना	हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 37, 38, 39 हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 59, 60, 61, 80
2	भुगतान न की गई देयता	हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 9 और 49, हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 85 से 88
3	पंजीकरण	हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 22 से 25 हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 8 से 26
4	कर का वर्गीकरण और दर	अधिसूचना 11/2017-सीटीआर दिनांक 28 जून 2017 समय-समय पर यथा संशोधित
5	आपूर्ति की प्रकृति	हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 7
6	आपूर्ति का समय	हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 12 और 13
7	आपूर्ति का मूल्य	हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 15
8	आपूर्ति का स्थान	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 12(3) और 13(4)
9	कर का भुगतान	हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 11(2), 32(1), 49 से 52 और धारा 76
10	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म	हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 9(3) और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5(3), जिसे दोनों अधिसूचना संख्या 13/2017 (सीटीआर) और 8/2017 (सीटीआर) दिनांक 28 जून 2017 के साथ पढ़ा जाए
11	इनपुट टैक्स क्रेडिट	हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 16 और 17
12	आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता	हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 65 और 66 तथा केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर/हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमावली का नियम 101

2.3.7 लेखापरीक्षा उपलब्धियां

लेखापरीक्षा ने कार्य अनुबंध/निर्माण आपूर्ति में शामिल करदाताओं द्वारा कर के भुगतान और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने वाले पहलुओं के साथ-साथ सेवा लेखांकन कोड 9954 के तहत पंजीकृत करदाताओं के संबंध में सर्कलों के कार्यों की समीक्षा की और इसकी उपलब्धियों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में बांटा गया है:

1. कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं से संबंधित विशिष्ट अनुपालन मामले
2. राज्य कर उप-आयुक्तों की कार्यात्मक लेखापरीक्षा

कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं से संबंधित विशिष्ट अनुपालन मामले

एक स्व-निर्धारण व्यवस्था में, कानून के अनुपालन का उत्तरदायित्व करदाता पर होता है। विभाग की भूमिका निगरानी प्रदान करने के लिए एक कुशल कर प्रबंधन तंत्र स्थापित करने और उसे बनाए रखने की है। सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) आधारित अनुपालन मॉडल बड़े पैमाने पर

शासन की एक गैर-विवेकाधीन व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम बनाता है और अनुपालन को लागू करने के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा ने डेटा-संचालित जोखिम-आधारित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार, समग्र राज्य के डेटा विश्लेषण के माध्यम से वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न में पाई गई विसंगतियों/विचलनों की पहचान के आधार पर इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में 30 करदाताओं के वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न की विस्तृत लेखापरीक्षा की गई थी। अपनाई गई कार्यप्रणाली में विसंगतियों/असंगतियों/विचलनों और संदेहास्पद संकेतों की पहचान करने के लिए बैक-एंड सिस्टम में उपलब्ध जी.एस.टी.आर.-9सी एवं अन्य अभिलेखों के भाग के रूप में करदाताओं द्वारा फाइल किए गए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न और वित्तीय विवरणों की डेस्क समीक्षा करना शामिल था। डेस्क समीक्षा के परिणामों के आधार पर, आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा की फील्ड इकाइयों में विस्तृत लेखापरीक्षा की गई, इसके लिए करदाताओं के संबंधित विस्तृत अभिलेख, जैसे कि वित्तीय खाता, चयनित महीनों के बीजक आदि मंगवाए गए, ताकि चिह्नित जोखिमों के उत्तरदायी कारकों की पहचान की जा सके और करदाताओं द्वारा अनुपालन का मूल्यांकन किया जा सके।

विभिन्न चरणों में करदाताओं द्वारा किए गए गैर-अनुपालन का अंतिम प्रभाव प्रस्तुत की गई रिटर्न की सत्यता, इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग और कर भुगतान के निपटान पर पड़ता है। अतः, लेखापरीक्षा उपलब्धियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, क) रिटर्न, ख) इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग, ग) कर देयता का भुगतान।

2.3.7.1 दायरे की सीमा (अभिलेखों को प्रस्तुत न करना)

बैक-एंड सिस्टम में उपलब्ध करदाताओं के अभिलेखों की डेस्क समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा विस्तृत जांच हेतु इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर देयता में विसंगतियों से संबंधित जोखिमों की पहचान की गई। इनपुट टैक्स क्रेडिट के आयाम पर, जी.एस.टी.आर.-3बी की तुलना जी.एस.टी.आर.-2ए एवं जी.एस.टी.आर.-9 से करके, तथा जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 12 और 14 में की गई घोषणाओं के आधार पर विसंगतियों की पहचान की गई। कर देयता के आयाम पर, जी.एस.टी.आर.-3बी की तुलना जी.एस.टी.आर.-1 और जी.एस.टी.आर.-9 से करके विसंगतियों की पहचान की गई। लेखापरीक्षा द्वारा संबंधित राज्य कर उप-आयुक्तों के माध्यम से करदाताओं के इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर देयता की विसंगतियों के लिए उत्तरदायी कारकों की जांच हेतु अपेक्षित विस्तृत अभिलेखों जैसे कि चयनित महीनों के बीजक, टिप्पणियों और अनुसूचियों सहित वित्तीय विवरण, डेबिट/क्रेडिट नोट, लेनदारों की सूची, पूरक वित्तीय खाता बही, करारों की प्रतियां आदि की मांग की गई।

क) 30 करदाताओं से संबंधित विस्तृत अभिलेखों की मांग की गई थी, जिनमें से 18 मामलों के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए, इसके कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने और यूडीएल में ₹ 37.69 करोड़ की अनियमितता/विसंगति से संबंधित पहचाने गए जोखिमों की लेखापरीक्षा द्वारा विस्तृत जांच नहीं की जा सकी। अभिलेखों के प्रस्तुत न किए जाने का क्षेत्राधिकार-वार विवरण तालिका 2.5 में सारांशित किया गया है।

तालिका 2.5: फील्ड लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा अभिलेखों के प्रस्तुत न किए जाने का विवरण

क्षेत्राधिकार इकाई	नमूना	अभिलेखों का प्रस्तुत न किया जाना
	करदाताओं की संख्या	करदाताओं की संख्या
अंबाला	3	3
भिवानी	4	4
फरीदाबाद (पूर्व)	5	5
गुरुग्राम (पूर्व)	3	2
गुरुग्राम (दक्षिण)	5	4
हिसार	4	0
रेवाड़ी	3	0
सोनीपत	3	0
योग	30	18

अभिलेखों के प्रस्तुत न किए जाने का करदाता-वार और वर्ष-वार विवरण परिशिष्ट 2.2 में दिया गया है।

जून 2025 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने 15 करदाताओं से संबंधित तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि चार करदाताओं को अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे तथा 11 करदाताओं के संबंध में विभाग ने बताया कि वह तीसरे पक्ष की जानकारी के लिए उत्तरदायी नहीं है।

तीन करदाताओं के संबंध में, विभाग ने बताया कि दो करदाताओं की जानकारी लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवा दी गई थी और शेष एक करदाता के लिए, वस्तु एवं सेवा कर कॉमन पोर्टल पर उपलब्ध डेटा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत कर दिया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि मांग किए गए सभी विस्तृत अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे और इसके अतिरिक्त, मांगे गए अभिलेख वस्तु एवं सेवा कर कॉमन पोर्टल पर भी उपलब्ध नहीं थे।

2.3.7.2 अदत्त कर देयता

वर्ष 2017 में वस्तु एवं सेवा कर के आरंभ ने सेवा कर और वैट दोनों को एकल कर व्यवस्था में सम्मिलित करके कार्य अनुबंध सेवाओं के कराधान को सरल बना दिया गया है। वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत, कार्य अनुबंध की संयुक्त आपूर्ति को हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची II की प्रविष्टि 6 (ए) के तहत 'सेवाओं की आपूर्ति' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

अनुसूची II में प्रविष्टि 5 (बी) के अनुसार, किसी परिसर, भवन, सिविल संरचना या उसके किसी हिस्से का निर्माण, जिसमें किसी खरीदार को पूर्ण या आंशिक रूप से बिक्री के लिए लक्षित परिसर या भवन शामिल है, सिवाय उन मामलों के जहां पूर्ण प्रतिफल सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद या उसके पहले अधिभोग के बाद प्राप्त किया गया हो, जो भी पहले हो, सेवा की आपूर्ति है और वस्तु एवं सेवा के लिए उत्तरदायी है।

सरकारी प्राधिकरणों को प्रदान की जाने वाली कार्य अनुबंध सेवाओं के मामले में रियायती दरें लागू होती हैं जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.आई.सी.)/आबकारी एवं

कराधान विभाग (ई.टी.डी.), हरियाणा द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन हैं।

अदत्त कर देयता के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

2.3.7.2 (क) कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं पर छूट/रियायती दरों का गलत लाभ उठाना

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 11/2017 दिनांक 28 जून 2017 और हरियाणा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2 दिनांक 30 जून 2017, समय-समय पर यथा संशोधित, जो राज्य कर की दरों को अधिसूचित करती हैं, वस्तु एवं सेवा कर फ्रेमवर्क के तहत वस्तु एवं सेवा कर दरों के लिए जारी की गई मुख्य अधिसूचनाएं हैं। यह मुख्य रूप से वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत सेवाओं पर लागू होने वाली कर दरों से संबंधित है, विशेष रूप से उन सेवाओं से जो कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं से जुड़ी हैं। यह अधिसूचना कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं से संबंधित कर की रियायती दरों या छूट का प्रावधान करती है, बशर्ते कि उसमें निर्धारित शर्तों का पालन किया जाए। इसे हरियाणा राज्य कर विभाग द्वारा जारी किया गया था।

यह अधिसूचना किफायती आवास⁴ के निर्माण के लिए कर की रियायती दरों का प्रावधान करती है, जो विशिष्ट शर्तों के अनुपालन के अधीन हैं; जैसे कि सेवा की आपूर्ति में उपयोग की गई वस्तुओं और सेवाओं पर प्रभारित किए गए इनपुट टैक्स का लाभ नहीं लिया गया हो, तथा निर्दिष्ट दर पर कर का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ बही को डेबिट करके नकद में किया जाएगा आदि। यह विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार सकल दर⁵ या प्रभावी दरों⁶ पर अलग-अलग दरों से कर के भुगतान का प्रावधान भी करती है। ठेकेदारों/उप-ठेकेदारों द्वारा सरकारी परियोजनाओं को प्रदान की जाने वाली कार्य अनुबंध सेवाओं के मामले में, यह अधिसूचना कर की छूट/रियायती दरों का प्रावधान करती है।

तीन राज्य कर उपायुक्तों⁷ के अभिलेखों की संवीक्षा में चार करदाताओं के सात मामलों में ₹ 23.39 करोड़ की अनुपालन संबंधी कमियां पाई गईं। ये कमियां करदाताओं द्वारा गलत तरीके से कर की छूट/रियायती दरों का लाभ उठाने के कारण हुईं, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने अपनी कर देयता का भुगतान नहीं किया (परिशिष्ट-2.3)।

जून 2025 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तीन करदाताओं से संबंधित छः मामलों में तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि तीन मामलों में डी.आर.सी.-01 जारी

⁴ किफायती आवास के अंतर्गत वे घर आते हैं जिनका कारपेट एरिया मेट्रो शहरों में 60 वर्ग मीटर (लगभग 645 वर्ग फुट) तक और गैर-मेट्रो शहरों में 90 वर्ग मीटर (लगभग 960 वर्ग फुट) तक होता है। मेट्रो और गैर-मेट्रो दोनों शहरों में ₹ 45,00,000 तक के मूल्य वाले घरों को किफायती आवास माना जाता है। मेट्रो शहरों के अंतर्गत बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर (केवल दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद तक सीमित), हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई {(संपूर्ण मुंबई महानगरीय क्षेत्र (एमएमआर)) शामिल हैं।

⁵ सकल दर वह दर है जो संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट की गई है।

⁶ प्रभावी दर का निर्धारण कुल मूल्य में से भूमि के मूल्य के मद में एक-तिहाई की कटौती करने के पश्चात किया जाता है।

⁷ फरीदाबाद (पूर्व), गुरुग्राम (पूर्व) और सोनीपत।

कर दिया गया था तथा शेष तीन मामलों को हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 61 के तहत संवीक्षा निर्धारण के लिए लिया गया था।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे विस्तृत रूप से दिया गया है:

- गुरुग्राम (पूर्व) के एक करदाता⁸ ने, जो एसएसी कोड 995411⁹ और 995414¹⁰ में लेन-देन कर रहा था, वर्ष 2019-20 और 2021-22 के लिए (जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 9 के अनुसार) 18 प्रतिशत की दर से कर देयता का भुगतान किया। हालांकि, वर्ष 2020-21 के दौरान, करदाता ने ₹ 191.72 करोड़ के कर योग्य मूल्य पर 7.5 प्रतिशत की दर से कर देयता का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 20.13 करोड़ के कर की कम वसूली हुई।

विभाग ने बताया कि करदाता आवासीय और वाणिज्यिक दोनों प्रकार की निर्माण सेवाएं प्रदान कर रहा था और अधिसूचना संख्या 03/2019 के अनुसार, करदाता ने आवासीय और वाणिज्यिक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट (आर.ई.पी.) कार्यों की निर्माण आपूर्ति के लिए क्रमशः 7.50 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दर से कर देयता का सही भुगतान किया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा को ऐसे कोई समर्थित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे जिनसे यह सिद्ध हो सके कि करदाता ने किफायती आवास परियोजना के अलावा किसी अन्य परियोजना में लेन-देन किया था।

किसी भी स्थिति में, करदाता किफायती आवासों के अतिरिक्त अन्य कर योग्य आपूर्ति पर ₹ 23.70 करोड़ का आनुपातिक इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करने के लिए उत्तरदायी था। जी.एस.टी.आर.-3बी की तालिका 4बी (1) के अनुसार, करदाता ने केवल ₹ 4.61 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स किया। इस प्रकार, ₹ 19.09 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का कम रिवर्सल हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 0.47 करोड़ की छूट वाली आपूर्ति थी, जिस पर ₹ 0.06 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स किया जाना था। कुल मिलाकर, ₹ 19.15 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का कम रिवर्सल हुआ। साथ ही, जी.एस.टी.आर.-9सी के अनुसार, ₹ 191.72 करोड़ के कर योग्य मूल्य पर कर देयता ₹ 14.38 करोड़ थी, जबकि जी.एस.टी.आर.-3बी के अनुसार नकद में भुगतान किया गया कर केवल ₹ 12.55 करोड़ था। इसलिए, नकद में ₹ 1.83 करोड़ के कर का कम भुगतान भी देखा गया।

2.3.7.2 (ख) कर का भुगतान न करना/कम भुगतान

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 13 यह प्रावधान करती है कि सेवाओं पर कर भुगतान की देयता आपूर्ति के समय उत्पन्न होगी, जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा इनवाइस जारी करने

⁸ बोवेब पोर्टल (जीएसटी पोर्टल) पर उपलब्ध प्रोफाइल के अनुसार, करदाता के पास राज्य के भीतर या बाहर पैन पर केवल एक ही जीएसटीआईएन था और एक अतिरिक्त व्यावसायिक स्थान घोषित किया गया था।

⁹ 995411: एकल आवास या बहु-आवास या बहु-मंजिला आवासीय भवनों की निर्माण सेवाएं।

¹⁰ 995414: वाणिज्यिक भवनों, जैसे कि कार्यालय भवन, प्रदर्शनी एवं विवाह हॉल, मॉल, होटल, रेस्तरां, हवाई अड्डे, रेल या सड़क टर्मिनल, पार्किंग गैरेज, पेट्रोल और सर्विस स्टेशन, थिएटर और अन्य समान भवन, की निर्माण सेवाएं।

की तिथि, यदि इनवाँइस निर्धारित अवधि के भीतर जारी किया गया हो या भुगतान प्राप्ति की तिथि, जो भी पहले हो, मानी जाएगी।

जी.एस.टी.आर.-9सी, हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 44 के अनुसार वार्षिक रिटर्न में घोषित टर्नओवर और लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणी में घोषित टर्नओवर के बीच एक मिलान विवरण है।

जी.एस.टी.आर.-1 की तालिका 11 में प्राप्त किए गए अग्रिम, अग्रिमों के समायोजन और संशोधनों की जानकारी दर्ज की जाती है। जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 4 (कॉलम 4एफ) में वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए अग्रिमों और उनके विरुद्ध चुकाई गई कर देयता का विवरण दर्ज किया जाता है।

(I) प्राप्त किए गए अग्रिम पर कर देयता

राज्य कर उपायुक्त, भिवानी, फरीदाबाद (पूर्व) और गुरुग्राम (पूर्व) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि चार करदाताओं के सात मामलों में प्राप्त किए गए अग्रिमों पर आपूर्ति के समय के प्रावधानों का अनुपालन न होने के कारण करदाताओं की ₹ 361.11 करोड़ (परिशिष्ट 2.4) की कर देयता अदत्त रह गई थी।

जून 2025 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने एक करदाता से संबंधित तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया था।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे विस्तार से दिया गया है:

- गुरुग्राम (पूर्व) के एक करदाता ने वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 1,131.44 करोड़ का अग्रिम (ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम ₹ 1,129.74 करोड़ और संबंधित पक्षों से प्राप्त अग्रिम ₹ 1.69 करोड़) घोषित किया था, जबकि 2021-22 में जी.एस.टी.आर.-1 में संशोधनों सहित घोषित प्राप्त अग्रिम केवल ₹ 118.10 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 1,013.33 करोड़ की अंतरीय राशि पर 18 प्रतिशत की दर से ₹ 182.40 करोड़ की कर देयता कम घोषित की गई।

विभाग ने उत्तर दिया कि संबंधित पक्षों से प्राप्त अग्रिम ऋण के रूप में थे और उन पर वस्तु एवं सेवा कर लागू नहीं होता था। यह उत्तर उन अभिलेखों द्वारा समर्थित नहीं था जो यह सिद्ध कर सकें कि ये अग्रिम संबंधित पक्षों से लिए गए ऋण थे, साथ ही वित्तीय विवरणों में अन्य चालू देयताओं के शेड्यूल के तहत ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के रूप में दर्शाई गई राशि को स्पष्ट करने में भी विफल रहा।

(II) कर योग्य टर्नओवर का छिपाव

राज्य कर उपायुक्त, फरीदाबाद (पूर्व) और गुरुग्राम (पूर्व) के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि कर योग्य टर्नओवर (टी.टी.ओ.) को छिपाने के कारण दो करदाताओं (परिशिष्ट 2.5) से संबंधित दो मामलों में ₹ 1.90 करोड़ के कर की कम वसूली हुई। इन मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

- वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य कर उपायुक्त, फरीदाबाद (पूर्व) में एक करदाता ने ठेकेदार की खाता-बही के अनुसार ₹ 346.74 करोड़ का कार्य दर्शाया था, जबकि जी.एस.टी.आर.-9 में टर्नओवर (क्रेडिट नोट्स और छूट प्राप्त आपूर्ति सहित) ₹ 338.61 करोड़ था, इस प्रकार, ₹ 8.13 करोड़ के कर योग्य टर्नओवर को छिपाया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.46 करोड़ के कर की कम वसूली हुई।
- वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य कर उपायुक्त, गुरुग्राम (पूर्व) में एक करदाता ने जी.एस.टी.आर.-3बी के अनुसार ₹ 12.48 करोड़ की कर योग्य आपूर्ति दर्शाई थी। करदाता ने जी.एस.टी.आर.-1 में क्रेडिट नोट को 'शून्य' दर्शाया था, जबकि जी.एस.टी.आर.-9 में टर्नओवर (क्रेडिट नोट और छूट प्राप्त आपूर्ति सहित) ₹ 10.08 करोड़ था, इस प्रकार ₹ 2.41 करोड़ के कर योग्य टर्नओवर को छिपाया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.43 करोड़ के कर की कम वसूली हुई।

जून 2025 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने एकल करदाता से संबंधित एक मामले के तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया था। एक अन्य करदाता के शेष मामले में, विभाग ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के जी.एस.टी.आर.-1 और जी.एस.टी.आर.-9 में घोषित और भुगतान की गई कर देयता में कोई विसंगति नहीं है। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि करदाता ने जी.एस.टी.आर.-1 में डेबिट/क्रेडिट नोट को शून्य दर्शाया था।

(III) अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर

राज्य कर उपायुक्त, फरीदाबाद (पूर्व) के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि एक करदाता के दो मामलों में करदाता ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान ₹ 4.99 करोड़ मूल्य की अचल परिसंपत्तियां बेची थी (नोट 10 के अनुसार (अचल परिसंपत्तियों की अनुसूची), जिन पर कर उद्ग्रहित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.90 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ (परिशिष्ट 2.6)।

जून 2025 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने वर्ष 2021-22 के तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि करदाता को नोटिस जारी कर दिया गया था। हालांकि, वर्ष 2020-21 के लिए कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

2.3.7.2 (ग) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आर.सी.एम.) के तहत कानूनी एवं पेशेवर प्रभार/रॉयल्टी/माल ढुलाई प्रभारों पर कर का भुगतान न करना या कम भुगतान करना

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर/हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 9(3) और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 5(3) के तहत सरकार, परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना के माध्यम से वस्तु या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की ऐसी श्रेणियां निर्दिष्ट कर सकती है, जिन पर कर का भुगतान रिवर्स चार्ज के आधार पर ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता द्वारा किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे प्राप्तकर्ता पर इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि वह ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

अधिसूचना संख्या 13/2017 दिनांक 28 जून 2017, किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों का प्रावधान करती है, जिन पर वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान ऐसी सेवाओं के प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाएगा।

राज्य कर उपायुक्त, भिवानी और फरीदाबाद (पूर्व) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि दो करदाताओं से संबंधित चार मामलों में, दोनों करदाताओं ने अपनी बैलेंस शीट में कानूनी एवं पेशेवर प्रभारों, रॉयल्टी और माल दुलाई प्रभारों के रूप में ₹ 4.36 करोड़ के व्यय दर्ज किए थे। इन सेवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज आधार पर 18 प्रतिशत की दर से किया जाना चाहिए था। यह देखा गया था कि करदाताओं ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के आधार पर ₹ 0.64 करोड़ की राशि के कर का भुगतान नहीं किया या कम भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप कर का कम भुगतान हुआ (परिशिष्ट 2.7)।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे विस्तार से दिया गया है:

- फरीदाबाद (पूर्व) के एक करदाता ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 1.05 करोड़ और ₹ 0.22 करोड़ के कानूनी एवं पेशेवर प्रभार तथा ₹ 1.51 करोड़ और ₹ 0.99 करोड़ की रॉयल्टी फीस का भुगतान किया। इन सेवाओं पर प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज आधार पर 18 प्रतिशत की दर से वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान किया जाना चाहिए था। दोनों वर्षों के जी.एस.टी.आर.-9सी की तालिका 9 में यह पाया गया था कि करदाता ने क्रमशः ₹ 0.29 करोड़ और ₹ 0.49 करोड़ की राशि पर ही 18 प्रतिशत की दर से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कर देयता का भुगतान किया था। इस प्रकार, करदाता ने दोनों वर्षों में कुल फीस पर 18 प्रतिशत की दर से ₹ 0.54 करोड़ (₹ 0.41 करोड़ + ₹ 0.13 करोड़) के कर की रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की देयता का कम भुगतान किया।

जून 2025 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने दो करदाताओं से संबंधित चार मामलों में तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि इन सभी मामलों को संवीक्षा निर्धारण के लिए लिया गया है।

2.3.7.3 इनपुट टैक्स क्रेडिट

(i) इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना

अधिनियम की धारा 16(2) और नियम 36 इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए शर्तें निर्धारित करते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के लिए अनिवार्य पूर्व-शर्तें ये हैं कि करदाता के पास कर इनवॉइस या अन्य कोई निर्दिष्ट कर भुगतान दस्तावेज होना चाहिए, माल या सेवाएं अनिवार्य रूप से प्राप्त की गई होनी चाहिए, आपूर्तिकर्ता द्वारा वास्तव में कर का भुगतान किया गया हो और करदाता ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए रिटर्न फाइल की हो। कर सहित माल या सेवाओं के मूल्य का भुगतान इनवॉइस जारी होने की तारीख से 180 दिनों के भीतर आपूर्तिकर्ता को कर दिया जाना चाहिए। किसी भी वित्तीय वर्ष से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ, संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद आने वाले सितंबर माह तक या वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि, जो भी पहले हो, के बाद नहीं उठाया जा सकेगा।

(क) इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस न करना/कम वापस करना

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 17(2) के साथ पठित नियम 42 और 43 प्रावधान करते हैं कि यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग आंशिक रूप से शून्य-दर आपूर्ति सहित कर-योग्य आपूर्ति और आंशिक रूप से कर-मुक्त आपूर्ति के लिए किया जाता है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि केवल उसी हिस्से तक सीमित होगी, जो शून्य-दर आपूर्ति सहित कर-योग्य आपूर्ति से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, भवनों या सिविल संरचनाओं के निर्माण से संबंधित सेवाओं के मामले में, जिन्हें खरीदार को बेचा जाना है, कर-मुक्त आपूर्ति के मूल्य की गणना परियोजना-वार की जाएगी।

राज्य कर उपायुक्त, भिवानी और फरीदाबाद (पूर्व) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि तीन करदाताओं के पांच मामलों में रिटर्न (जीएसटीआर-9/9सी) में कर-मुक्त आपूर्ति तो दर्शायी गई थी, परंतु जीएसटीआर-3बी {तालिका 4बी(i)} में नियम 42/43 के अंतर्गत कर-मुक्त आपूर्ति के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल नहीं किया गया था, इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.66 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिवर्सल नहीं हुआ/कम रिवर्सल हुआ (परिशिष्ट 2.8)।

दो उदाहरणात्मक मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

- राज्य कर उपायुक्त, भिवानी में एक करदाता ने वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 83.07 करोड़ के कुल कर-योग्य टर्नओवर में से ₹ 0.93 करोड़ को कर-मुक्त, 'शून्य' दर और गैर-वस्तु एवं सेवा कर आपूर्ति के रूप में (जीएसटीआर-9 के अनुसार) घोषित किया। इसके परिणामस्वरूप, कर-योग्य टर्नओवर के विरुद्ध दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट के अनुपात के आधार पर ₹ 0.15 करोड़ के वस्तु एवं सेवा कर के इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिवर्सल नहीं हुआ/कम रिवर्सल हुआ।
- राज्य कर उपायुक्त, फरीदाबाद (पूर्व) में एक करदाता ने वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 214.60 करोड़ के कर-योग्य टर्नओवर में से ₹ 2.39 करोड़ को गैर-वस्तु एवं सेवा कर और कर-मुक्त आपूर्ति के रूप में (जीएसटीआर 9 के अनुसार) घोषित किया। इसके परिणामस्वरूप, कर-योग्य टर्नओवर के विरुद्ध दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट के अनुपात के आधार पर ₹ 0.25 करोड़ के वस्तु एवं सेवा कर के इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिवर्सल नहीं हुआ/कम रिवर्सल हुआ।

जून 2025 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि दो करदाताओं से संबंधित चार मामलों में नोटिस जारी किए जा चुके थे तथा एक करदाता के शेष एक मामले को हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 61 के तहत संवीक्षा निर्धारण के लिए लिया गया था।

2.3.8 अन्य अनुपालन मामले

2.3.8.1 प्रमाण पत्र में नए सेवा लेखा कोड की घोषणा न करना

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 24(2)(ए) के अनुसार विद्यमान कानून के तहत पंजीकृत व्यक्तियों के माइग्रेशन के संबंध में, जिस भी व्यक्ति को उप-नियम (1) के

तहत अनंतिम पंजीकरण दिया गया है, उसे फॉर्म जीएसटी आरईजी-26 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा, यह आवेदन कॉमन पोर्टल पर सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से, विधिवत हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड द्वारा सत्यापित होना चाहिए और वर्णित आवेदन में निर्दिष्ट सभी जानकारी और दस्तावेज शामिल होने चाहिए। नियमावली के नियम 2(बी) के अनुसार, क्लॉज (ए) के लिए मांगी गई जानकारी तीन महीने की अवधि के भीतर या आयुक्त द्वारा इस संबंध में बढ़ाई गई अतिरिक्त अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। नियम 2(सी) के तहत, यदि उचित अधिकारी द्वारा आवेदन में प्रस्तुत की गई जानकारी और विवरण सही और पूर्ण पाए जाते हैं, तो पंजीकरण प्रमाण-पत्र फॉर्म जीएसटी आरईजी-06 में कॉमन पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकृत व्यक्ति को उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, नियम 24(3) के अनुसार, यदि उप-नियम (2) में निर्दिष्ट विवरण या जानकारी या तो प्रस्तुत नहीं की गई है, या वह सही या पूर्ण नहीं पाई गई है, तो उचित अधिकारी फॉर्म जीएसटी आरईजी-27 में कारण बताओ नोटिस जारी करेगा और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, उप-नियम (1) के तहत दिए गए अनंतिम पंजीकरण को निरस्त कर देगा और फॉर्म जीएसटी आरईजी-28 में आदेश जारी करेगा। सात राज्य कर आयुक्तों¹¹ के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 30 में से 13 करदाताओं ने कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं से संबंधित नए सेवा लेखा कोड (9954XX) के स्थान पर पुराने सेवा कर कोड (00440XXX) का उल्लेख किया था (परिशिष्ट 2.9)।

जून 2025 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि एक करदाता के मामले में ₹ 50,000 की पेनल्टी उद्ग्रहित और वसूल की गई थी। एक अन्य करदाता के मामले में, ₹ 50,000 की पेनल्टी उद्ग्रहित की गई थी, तथापि, वसूली लंबित थी। तीन करदाताओं से संबंधित तीन मामलों में नए एचएसएन/एसएसी कोड को अद्यतन करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे और एक अन्य करदाता का मामला अपेक्षित कार्यवाही हेतु पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिया गया था। सात करदाताओं से संबंधित शेष सात मामलों में पुराने कोड के स्थान पर वस्तु एवं सेवा कर के तहत नया सेवा लेखा कोड डालकर सुधारात्मक कार्रवाई कर ली गई थी।

2.3.8.2. ब्याज का भुगतान न करना/कम भुगतान करना

अधिनियम की धारा 50 यह निर्धारित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, परंतु निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसके किसी भी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, वह उस अवधि के लिए, जिसके दौरान कर या उसका कोई हिस्सा अदत्त रहता है, अधिसूचित दर पर ब्याज का भुगतान करेगा।

वर्ष 2020-21 से 2021-22 के दौरान कर के विलंबित प्रेषण के कारण ब्याज के कम भुगतान की सीमा का निर्धारण, जीएसटीआर-3बी में कर भुगतान के विवरण और जीएसटीआर-3बी

¹¹ अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद (पूर्व), गुरुग्राम (दक्षिण), हिसार, रेवाड़ी और सोनीपत।

फाइल करने की तिथि के आधार पर किया गया था। देय ब्याज की गणना के लिए केवल निवल कर देयता (नकद घटक) पर ही विचार किया गया है।

छ: राज्य कर आयुक्तों¹² के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 65 मामलों अर्थात् मासिक जीएसटीआर-3बी रिटर्न में, 11 करदाताओं ने एक दिन से 78 दिनों तक के विलंब के साथ जीएसटीआर-3बी प्रस्तुत करके अपनी कर देयताओं का भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.47 करोड़ के ब्याज का कम भुगतान हुआ (परिशिष्ट 2.10)। जून 2025 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि एकल करदाता से संबंधित एक मामले की राज्य वस्तु एवं सेवा कर की धारा 65 के तहत जांच की जाएगी, तीन करदाताओं से संबंधित तीन मामलों में नोटिस जारी किए गए थे और सात करदाताओं के शेष सात मामलों में करदाताओं से ₹ 0.04 करोड़ की राशि वसूल कर ली गई थी।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे विस्तार से दिया गया है:

- राज्य कर आयुक्त, गुरुग्राम (पूर्व) के एक करदाता ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान पांच कर-अवधियों के लिए मासिक रिटर्न (जीएसटीआर-3बी) विलंब से प्रस्तुत करके अपनी कर देयता का भुगतान किया था, जिसमें विलंब क्रमशः पांच दिन से 36 दिन तक था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.38 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं हुआ/कम भुगतान हुआ।

विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज जमा कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, धारा 65 के तहत लेखापरीक्षा आयोजित करके मामले की जांच की जाएगी।

2.3.8.3 रिटर्न के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाना और उसका उपयोग

अधिनियम की धारा 61 के अंतर्गत, करदाताओं द्वारा फाइल की गई विभिन्न रिटर्न की संवीक्षा उचित अधिकारी (राज्य कर के आबकारी एवं कराधान अधिकारी) द्वारा की जानी चाहिए ताकि रिटर्न की सत्यता का सत्यापन किया जा सके और रिटर्न में पाई गई किसी भी विसंगति या असंगति पर उपयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जैसा कि तालिका 2.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.6: इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने और कर भुगतान के निपटान में विसंगतियां

आयाम	पहचानी गई विसंगतियां			विभाग द्वारा की गई कार्रवाई		विभाग का उत्तर प्रतीक्षित/ खंडन किया गया	
	करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	(₹ करोड़ में)	स्वीकृत मामलों की संख्या (करदाताओं की संख्या)	(₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या (करदाताओं की संख्या)	(₹ करोड़ में)
जीएसटीआर-2ए ¹³ और जीएसटीआर-3बी ¹⁴ में विसंगति के कारण आई.टी.सी. का अधिक लाभ उठाना (परिशिष्ट-2.11)	2	2	4.27	2 (2)	4.27	0	0

¹² भिवानी, गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (दक्षिण), फरीदाबाद (पूर्व), हिसार और सोनीपत।

¹³ करदाता की इनपुट आपूर्तियों और उपलब्ध आईटीसी का स्वतः जनित विवरण।

¹⁴ जीएसटीआर-3बी की तालिका 4, जो प्राप्त किए गए आईटीसी को दर्शाती है।

आयाम	पहचानी गई विसंगतियां			विभाग द्वारा की गई कार्रवाई		विभाग का उत्तर प्रतीक्षित/ खंडन किया गया	
	करदाताओं की संख्या	मामलों की संख्या	(₹ करोड़ में)	स्वीकृत मामलों की संख्या (करदाताओं की संख्या)	(₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या (करदाताओं की संख्या)	(₹ करोड़ में)
जीएसटीआर-9 कॉलम-8 ¹⁵ में विसंगति के कारण आई.टी.सी. का अधिक लाभ उठाना (परिशिष्ट-2.12)	4	5	1.40	4 (3)	1.37	1 (1)	0.03
जीएसटीआर-9 कॉलम-6 ¹⁶ में विसंगति के कारण आई.टी.सी. का अधिक लाभ उठाना (परिशिष्ट-2.13)	8	14	30.44	10 (6)	9.41	4 (2)	21.03
जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-9 (कॉलम-8ए ¹⁷) में विसंगति के कारण आई.टी.सी. का अधिक लाभ उठाना (परिशिष्ट-2.14)	6	8	0.68	5 (4)	0.66	3 (2 ¹⁸)	0.02
रिटर्न (जीएसटीआर-1/3बी/9) के अनुसार कर देयता की कम घोषणा (परिशिष्ट-2.15)	6	7	0.61	3 (2)	0.27	4 (4)	0.34
आर.सी.एम. के तहत कर का कम भुगतान (परिशिष्ट-2.16)	2	3	0.29	2 (1)	0.02	1 (1)	0.27
योग	28¹⁹	39	37.69	26 (18)	16.00	13 (10)	21.69

लेखापरीक्षा ने इन 28 करदाताओं से संबंधित 39 मामलों के संबंध में विसंगतियों के कारणों का पता लगाने के लिए विभाग से अतिरिक्त अभिलेखों जैसे कि पक्षों के बीच कार्य अनुबंध/करार, चयनित महीनों के बिक्री इनवॉइस और खरीद इनवॉइस, ट्रायल बैलेंस, इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल वर्किंग शीट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत प्राप्त आपूर्तियों के विवरण इत्यादि की मांग की। विभाग ने इन मामलों में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए। हालांकि, उसने 26 मामलों में ₹ 16.00 करोड़ के अंतर की विसंगतियों/असंगतियों को स्वीकार किया। लेखापरीक्षा का मत है कि करदाताओं के मूल अभिलेख प्राप्त करने और उन्हें लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि विसंगतियों के लिए उत्तरदायी कारकों का विश्लेषण किया जा सके।

13 मामलों में विभाग द्वारा दिए गए उत्तर या तो अपने दावे की पुष्टि के लिए अपेक्षित दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं थे या उपलब्ध अभिलेखों जैसे कि रिटर्न

¹⁵ जीएसटीआर-9 की तालिका 8ए में दिए गए जीएसटीआर-2ए/2बी के अनुसार आईटीसी और वार्षिक रिटर्न में प्राप्त किए गए आईटीसी के विवरण दर्शाने वाली जीएसटीआर-9 की तालिका 6बी और 6सी के कुल योग के बीच का अंतर।

¹⁶ जीएसटीआर-9 की तालिका 6ए में दर्शाए गए अनुसार मासिक रिटर्न जीएसटीआर-3बी में प्राप्त आईटीसी और जीएसटीआर-9 की तालिका 6बी से 6एच में घोषित अनुसार प्राप्त आईटीसी के विवरण के बीच का अंतर।

¹⁷ जीएसटीआर-2ए/2बी के अनुसार आईटीसी।

¹⁸ एक ही करदाता के दो मामलों में, उत्तर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के अनुसार नहीं था।

¹⁹ 12 विशिष्ट करदाता।

(जीएसटीआर-1/3बी/9/9सी), विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं के साथ मिलान करने पर तर्कसंगत नहीं पाए गए।

2.3.9 राज्य कर उपायुक्तों की कार्यात्मक लेखापरीक्षा

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 59 के अनुसार, वस्तु एवं सेवा कर एक स्व-निर्धारण आधारित कर है, इसके अंतर्गत कर देयता की गणना करने, गणना की गई कर देयता का भुगतान करने और रिटर्न फाइल करने का उत्तरदायित्व करदाता पर निहित है। वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न नियमित रूप से कॉमन वस्तु एवं सेवा कर पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, ऐसा न करने पर पेनल्टी देय होगी। भले ही किसी विशेष कर अवधि के दौरान व्यवसाय की कोई कर देयता न हो, फिर भी शून्य रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 99 के साथ पठित अधिनियम की धारा 61 प्रावधान करती है कि उचित अधिकारी करदाताओं द्वारा प्रस्तुत रिटर्न और संबंधित विवरणों की संवीक्षा कर सकता है और पाई गई विसंगतियों के बारे में करदाता को सूचित कर सकता है और उनसे स्पष्टीकरण मांग सकता है।

विभागीय फील्ड इकाइयों के कार्यों का मूल्यांकन करने हेतु पांच राज्य कर उपायुक्तों²⁰ का चयन किया गया, ताकि संवीक्षा एवं निर्धारण की प्रभावशीलता तथा विश्लेषण एवं जोखिम प्रबंधन महानिदेशक (डीजीएआरएम)/कर अनुसंधान इकाई की कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं से संबंधित रिपोर्टों के अनुपालन का आकलन किया जा सके। राज्य कर उपायुक्तों की लेखापरीक्षा के परिणाम इस प्रकार हैं:

2.3.9.1 रिटर्न की संवीक्षा

(i) रिटर्न की संवीक्षा से संबंधित सूचना प्रस्तुत न करना

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 99 के तहत, जब किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए रिटर्न को संवीक्षा के लिए चुना जाता है, तो उचित अधिकारी अपने पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 61 के प्रावधानों के अनुसार उसकी संवीक्षा करेगा और किसी भी विसंगति की स्थिति में, वह उक्त व्यक्ति को फॉर्म जीएसटी ए.एस.एम.टी.-10 में एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें उसे उक्त विसंगति की सूचना दी जाएगी और नोटिस जारी होने की तिथि से तीस दिन के भीतर या उसके द्वारा अनुमत अतिरिक्त अवधि के भीतर उससे इस पर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, साथ ही, जहां संभव हो, ऐसी विसंगति के संबंध में देय कर, ब्याज और किसी भी अन्य राशि का निर्धारण भी किया जाएगा।

पंजीकृत व्यक्ति उप-नियम (1) के तहत जारी नोटिस में उल्लिखित विसंगति को स्वीकार कर सकता है और ऐसी विसंगति से उत्पन्न कर, ब्याज और किसी भी अन्य राशि का भुगतान कर सकता है और इसकी सूचना दे सकता है या विसंगति के लिए फॉर्म जीएसटी ए.एस.एम.टी.-11 में उचित अधिकारी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है। जहां पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण या उप-नियम (2) के तहत प्रस्तुत की गई जानकारी स्वीकार्य पाई जाती है, तो

²⁰ अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद (पूर्व), गुरुग्राम (दक्षिण) और सोनीपत।

उचित अधिकारी उसे फॉर्म जीएसटी ए.एस.एम.टी.-12 में तदनुसार सूचित करेगा। यदि प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है या करदाता सुधारात्मक उपाय करने में विफल रहता है, जैसे कि बकाया कर का भुगतान न करना या गलत तरीके से प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का भुगतान करने में विफल रहना, तो उचित अधिकारी कर और अन्य देय राशि निर्धारित करने के लिए हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 73/74 के तहत कार्यवाही आरंभ करेगा।

लेखापरीक्षा को आबकारी एवं कराधान आयुक्त, पंचकुला (अर्थात् मुख्यालय) के कार्यालय से उन मामलों की सूचियां प्राप्त हुई (जुलाई 2024), जिन्हें आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान (अर्थात् वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए) केंद्रीय रूप से संवीक्षा और लेखापरीक्षा हेतु चुना गया था, ये मामले उन पांच चयनित राज्य कर उपायुक्तों से संबंधित हैं, जिन्हें राज्य कर उपायुक्तों की कार्यात्मक लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल किया गया था। पांच राज्य कर उपायुक्तों में विभाग द्वारा संवीक्षा के लिए कुल 2,206 मामले और लेखापरीक्षा हेतु 149 मामले चुने गए थे (परिशिष्ट-2.17)।

राज्य कर उपायुक्तों की कार्यात्मक लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा पार्टी द्वारा पांच राज्य कर उपायुक्तों से उनके द्वारा की गई संवीक्षा का विवरण और उनके अंतिम परिणाम (जैसे ए.एस.एम.टी.-10 जारी करने की तिथि आदि) मांगे गए, विशेष रूप से उन मामलों के लिए जिनमें करदाता कार्य अनुबंध या निर्माण सेवाओं में शामिल थे। हालांकि, इनमें से किसी भी राज्य कर उपायुक्त द्वारा यह विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

अपेक्षित विवरण प्रस्तुत न किए जाने के कारण, लेखापरीक्षा राज्य के राजस्व की सुरक्षा हेतु कार्य अनुबंध/निर्माण सेवा करदाताओं के संबंध में विभाग द्वारा अपनाई गई समग्र प्रणाली पर टिप्पणी करने में असमर्थ रही और क्या राज्य के वस्तु एवं सेवा कर विभाग द्वारा राजकोष के राजस्व की सुरक्षा की गई (परिशिष्ट-2.18)।

जून 2025 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि वस्तु एवं सेवा कर एक वेब-आधारित प्रणाली है, जिसमें पंजीकरण, संशोधन, निरस्तीकरण, प्रतिसंहरण, संवीक्षा, लेखापरीक्षा और वसूली आदि सहित सभी कार्यवाहियां बोवेब पोर्टल पर ऑनलाइन संचालित की जाती हैं और इससे संबंधित समस्त डेटा बोवेब पोर्टल पर डिजिटल रूप में अनुरक्षित किया जाता है। कारण बताओ नोटिस जारी करने, करदाता द्वारा उत्तर प्रस्तुत करने और अंतिम न्यायनिर्णयन आदेश सहित सभी कार्यवाहियां ऑनलाइन जारी की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा पार्टी की पहुंच कॉमन बोवेब पोर्टल तक थी और सभी डिजिटल अभिलेख उनके लिए सुलभ थे। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि यद्यपि व्यक्तिगत करदाताओं के अभिलेख बोवेब पोर्टल के माध्यम से एक्सेस किए जा सकते हैं, किंतु लेखापरीक्षा द्वारा मांगी गई सारांश जानकारी, जो संवीक्षा के लिए चयनित मामलों की संख्या और कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं में शामिल करदाताओं के रिटर्न की संवीक्षा के परिणामों से संबंधित है, बोवेब पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है और मांग किए जाने पर भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

उपर्युक्त के बावजूद, लेखापरीक्षा ने मुख्यालय कार्यालय द्वारा प्रदान की गई संवीक्षा और लेखापरीक्षा मामलों की सूची में से, कार्य अनुबंध (नया एसएसी कोड 9954/पुराना कोड 0044) से संबंधित करदाताओं के प्रोफाइल और उच्चतम कुल टर्नओवर के आधार पर 25 करदाताओं/मामलों (प्रत्येक राज्य कर उपायुक्त में पांच मामले) का चयन किया (परिशिष्ट-2.19)।

(ii) रिटर्न की संवीक्षा में अपर्याप्तता

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 61 के अंतर्गत, करदाताओं द्वारा फाइल की गई विभिन्न रिटर्न की उचित अधिकारी द्वारा संवीक्षा की जानी चाहिए ताकि रिटर्न की शुद्धता का सत्यापन किया जा सके और रिटर्न में परिलक्षित किसी भी विसंगति या असंगति पर उचित कार्रवाई की जा सके।

(क) करयोग्य टर्नओवर को छिपाने के कारण कर का कम उदग्रहण

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 9 (2) के अंतर्गत, मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति को छोड़कर, माल या सेवाओं या दोनों की सभी आपूर्तियों पर कर के उदग्रहण की परिकल्पना की गई है, जो धारा 15 के तहत निर्धारित मूल्य पर और परिषद की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित एवं संशोधित दरों पर लगाया जाएगा और जिसका भुगतान करयोग्य व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

राज्य कर उपायुक्त, गुरुग्राम (दक्षिण) के 2018-19 की अवधि के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि करदाता ने अपने जीएसटीआर-1 की तालिका 12 में ₹ 52.49 करोड़ का कुल कर योग्य टर्नओवर (टीटीओ) घोषित किया था। जब इसकी तुलना जीएसटीआर-3बी की तालिका 3 और जीएसटीआर-9 की तालिका 4(ए+बी) से की गई, तो लेखापरीक्षा में पाया गया कि कुल कर योग्य टर्नओवर ₹ 78.78 करोड़ था। इस प्रकार, कुल कर योग्य मूल्य घोषित मूल्य की तुलना में ₹ 26.29 करोड़ अधिक था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.15 करोड़ के कर की कम वसूली हुई (परिशिष्ट-2.20)।

हालांकि, कर की इस कम वसूली का उल्लेख न तो करदाता को जारी किए गए फॉर्म एसएसएमटी-10 (दिनांक 02 जनवरी 2023) के नोटिस में किया गया और न ही फॉर्म डी.आर.सी.-01 (दिनांक 23 दिसंबर 2023) में कारण बताओ नोटिस में किया गया।

जून 2025 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि करदाता किफायती सोसायटी से संबंधित निर्माण गतिविधियों के विकास में संलग्न है। जीएसटीआर-3बी में घोषित कर योग्य मूल्य में निर्माण सेवाओं के साथ-साथ भूमि के घटक से संबंधित प्रतिफल भी शामिल है। इसके परिणामस्वरूप, कर योग्य प्रतिफल पर प्रभावी वस्तु एवं सेवा कर दर आठ प्रतिशत होती है। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग ने अपने तर्क की पुष्टि के लिए सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। विभाग ने आगे बताया कि जांच के बाद लेखापरीक्षा को विस्तृत उत्तर प्रदान किया जाएगा।

(ख) प्राप्त अग्रिम पर कर का अनुद्ग्रहण

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 13 यह प्रावधान करती है कि सेवाओं पर कर भुगतान की देयता आपूर्ति के समय उत्पन्न होगी, जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा इनवाँइस जारी करने की तिथि, यदि इनवाँइस निर्धारित अवधि के भीतर जारी किया गया हो या भुगतान प्राप्त की तिथि, जो भी पहले हो, मानी जाएगी। हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 44 के अनुसार, जीएसटीआर-9सी लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय रिटर्नों में घोषित टर्नओवर और वार्षिक रिटर्न में घोषित टर्नओवर का एक मिलान विवरण है। जीएसटीआर-1 की तालिका 11 में प्राप्त अग्रिम और संशोधनों के साथ अग्रिमों के समायोजन की जानकारी दर्ज की जाती है। जीएसटीआर-9 का कॉलम 4एफ वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त अग्रिम और उसके विरुद्ध चुकाई गई कर देयता का विवरण दर्ज करता है।

राज्य कर उपायुक्त, फरीदाबाद (पूर्व) और भिवानी के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि दो करदाताओं से संबंधित दो मामलों में करदाताओं पर प्राप्त अग्रिमों के संबंध में ₹ 0.16 करोड़ (परिशिष्ट-2.21) की भुगतान न की गई कर देयता शेष थी। उचित अधिकारी प्राप्त अग्रिम राशि पर कर उद्ग्रहण करने विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप संवीक्षा निर्धारण के दौरान कर का उद्ग्रहण नहीं हो पाया।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे विस्तार से दिया गया है:

- राज्य कर उपायुक्त, फरीदाबाद में लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2018-19 के दौरान करदाता ने जीएसटीआर-9(4एफ) में 'अग्रिम जिस पर कर का भुगतान कर दिया गया है लेकिन इनवाँइस जारी नहीं किया गया है' के संबंध में अपने कर योग्य टर्नओवर को ₹ 1.19 करोड़ कम कर दिया था। जब जीएसटीआर-1 के साथ इसका मिलान किया गया, तो पाया गया कि वर्ष 2017-18 में तालिका 11 के अनुसार प्राप्त अग्रिम ₹ 0.97 करोड़ था और अग्रिमों का समायोजन ₹ 0.35 के लिए किया गया था। इस प्रकार, असमायोजित अग्रिम ₹ 0.63 करोड़ थे। हालांकि, वर्ष 2018-19 में, करदाता ने प्राप्त अग्रिम को शून्य (जीएसटीआर-1) दर्शाया था और जीएसटीआर-9 की तालिका 4एफ में अग्रिम समायोजन ₹ 1.19 करोड़ दर्शाया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2018-19 में ₹ 0.56 करोड़ का अधिक समायोजन प्राप्त किया गया। अतः, करदाता 18 प्रतिशत की दर से, अंतर वाले कर योग्य टर्नओवर पर ₹ 0.10 करोड़ का कर चुकाने के लिए उत्तरदायी था।

जून 2025 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि एकल करदाता के एक मामले में डीआरसी-01 जारी किया गया है और दूसरे करदाता के शेष मामले में नोटिस जारी किया गया था।

(ग) जीएसटीआर-9सी की तालिका 5आर/7जी में मिलान न किया गया टर्नओवर/कर योग्य टर्नओवर

जीएसटीआर-9सी हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 44 के तहत करदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक मिलान विवरण है। जीएसटीआर-9सी की तालिका 5, लेखापरीक्षित

वार्षिक वित्तीय रिटर्नों में घोषित टर्नओवर और वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 में घोषित टर्नओवर के बीच का मिलान है। इस तालिका का कॉलम 5आर, अपेक्षित समायोजनों के बाद वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 और उस वर्ष के वित्तीय विवरण में घोषित टर्नओवर के बीच के असमाधित टर्नओवर को कैप्चर करता है। इसी प्रकार, जीएसटीआर-9सी की तालिका 7 कर योग्य टर्नओवर का मिलान है। इस तालिका का कॉलम 7जी, वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 के बीच के असमाधित कर योग्य टर्नओवर को कैप्चर करता है।

वर्ष 2018-19 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9सी में नियम 80 (3) के तहत अपेक्षित अनुसार करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित मिलान विवरण का विश्लेषण किया गया और लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य कर उपायुक्त, अंबाला के दो करदाताओं से संबंधित दो मामलों में जीएसटीआर-9सी (तालिका 5आर/7जी) में ₹ 30.89 करोड़ का असमाधानित टर्नओवर था (परिशिष्ट-2.22)। इन मामलों की संवीक्षा के दौरान, उचित अधिकारी द्वारा एसएमटी-10 में यह मामला नहीं उठाया गया था।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे विस्तार से दिया गया है:

- राज्य कर उपायुक्त, अंबाला में लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि करदाता ने जीएसटीआर-9सी की तालिका 5आर में ₹ 19.30 करोड़ का असमाधानित टर्नओवर घोषित किया था और कंपनी ने जीएसटीआर-9सी की तालिका 6 में आपूर्ति का मूल्य ₹ 15.44 करोड़ दर्शाया और वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन में परिवर्तन का संदर्भ देते हुए तर्क दिया कि उसने वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था लागू होने से पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ करार किया था, इसलिए उस पर कर का प्रभाव लागू नहीं होगा।

जून 2025 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने के लिए दोनों मामलों को पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिया गया था।

(घ) डी.आर.सी.-01 और डी.आर.सी.-05 के बीच अंतर

हरियाणा जी.एस.टी. रिटर्न संवीक्षा मैनुअल, एच.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के अनुसार करदाताओं के रिटर्न की जांच के संबंध में प्रक्रियात्मक पहलुओं का प्रावधान करता है, जैसे कि नोटिस जारी करना, करदाताओं को विसंगतियों की सूचना देना, उचित अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड का सत्यापन आदि। मैनुअल के बिंदु 11(5) के अनुसार, डी.आर.सी.-01²¹ में नोटिस जारी करके करदाता के विरुद्ध अधिनिर्णयन कार्यवाही की परिकल्पना की गई है। नोटिस में मामलों/विसंगतियों का विस्तृत विवरण होना चाहिए। बिंदु 13 के साथ पठित बिंदु 11(9) के अनुसार, यदि उचित अधिकारी कर, ब्याज और पेनल्टी के भुगतान सहित करदाता द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी से संतुष्ट है, तो इस कार्यवाही को डी.आर.सी.-05²² में स्पष्ट आदेश जारी करके समाप्त कर दिया जाएगा।

²¹ डी.आर.सी.-01 करदाता को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का सारांश है।

²² डी.आर.सी.-05 करदाता को कार्यवाही समाप्त होने की सूचना है।

राज्य कर उपायुक्त, गुरुग्राम (दक्षिण) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 2018-19 की अवधि के लिए एकल करदाता के तीन मामलों में, उचित अधिकारी ने दिसंबर 2023 में करदाता को डी.आर.सी.-01 जारी किया था और बाद में करदाता के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त करते हुए डी.आर.सी.-05 जारी कर दिया था। हालांकि, यह देखा गया था कि डी.आर.सी.-01 में कई बिंदु उठाए गए थे जैसे कि जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-9 में देयता के अंतर पर ब्याज, जीएसटीआर-3बी को देरी से फाइल करने पर ब्याज और विलंब फीस तथा जीएसटीआर-9सी को देरी से फाइल करने पर पेनल्टी; जिनका कार्यवाही समाप्त करने से पहले डी.आर.सी.-05 में समाधान नहीं किया गया था, इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.07 करोड़ का कर निहितार्थ हुआ (परिशिष्ट-2.23)।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान (जून 2025), विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 70 के तहत समन जारी किए गए थे।

(ड) ब्याज का कम उद्ग्रहण

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 50 यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसके किसी भी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, वह उस अवधि के लिए, जिसके दौरान कर या उसके किसी हिस्से का भुगतान नहीं किया जाता है, अधिसूचित दर पर ब्याज का भुगतान करेगा।

राज्य कर उपायुक्त, गुरुग्राम (दक्षिण) और सोनीपत के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि तीन करदाताओं से संबंधित छः मामलों में ₹ 0.82 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ जिसका कारण या तो किसी महीने में जीएसटीआर-3बी के माध्यम से कर देयता का कम भुगतान होना या फिर उचित अधिकारी द्वारा देय ब्याज की गलत गणना करना था (परिशिष्ट-2.24)।

इन मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

- राज्य कर उपायुक्त, सोनीपत में, एक करदाता के संबंध में लेखापरीक्षा ने देखा कि उचित अधिकारी ने वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी के बीच कर देयता में अंतर, जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-3बी के बीच प्राप्त/दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट में अंतर तथा जीएसटीआर-3बी में घोषित आरसीएम कर देयता और दावा किए गए आरसीएम इनपुट टैक्स क्रेडिट के बीच अंतर के आधार पर 21 सितंबर 2022 से 04 अगस्त 2023, अर्थात् डी.आर.सी.-01 नोटिस की तिथि, तक की अवधि के लिए ब्याज उद्ग्रहित किया था। ब्याज 2017-18 के लिए जीएसटीआर-9 फाइल करने की नियत तारीख अर्थात् 05 फरवरी 2020 से उद्ग्रह्य था, जैसा कि अधिसूचना संख्या 06/2020-केंद्रीय कर, नई दिल्ली,

दिनांक 3 फरवरी, 2020 के अनुसार निर्धारित है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.63 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ

- राज्य कर उपायुक्त, सोनीपत में, एक करदाता के संबंध में लेखापरीक्षा ने देखा कि करदाता के पास मई 2018 की अवधि के लिए कर देयता का भुगतान करने के बाद, नवंबर 2018 के अंत में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर (ई.सी.एल.) में ₹ 0.15 करोड़ का आई.जी.एस.टी. इनपुट टैक्स क्रेडिट शेष था। जून 2018 के महीने के लिए कर देयता ₹ 0.37 करोड़ थी (आई.जी.एस.टी. ₹ 45,872, सी.जी.एस.टी. ₹ 18,47,800 और एस.जी.एस.टी. ₹ 18,47,800), जिसका भुगतान 20 जुलाई 2018 तक किया जाना था, लेकिन इसका भुगतान इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से 288 दिनों की देरी से 4 मई 2019 को किया गया। ₹ 0.23 करोड़ (45,872+18,47,800+18,47,800-14,77,146) की शेष कर देयता पर 288 दिनों के लिए 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ₹ 0.03 करोड़ का ब्याज देय था।

इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अनुसार करदाता ने सितंबर 2018 महीने के लिए आई.जी.एस.टी.- ₹ 10,45,60,288, सी.जी.एस.टी.- ₹ 5,45,05,471 और एस.जी.एस.टी.- ₹ 5,45,05,471 के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया था और इतनी ही राशि (सी.जी.एस.टी.- ₹ 5,20,84,887, एस.जी.एस.टी.- ₹ 5,20,84,887 और आई.जी.एस.टी.- ₹ 10,47,95,665) जीएसटीआर-9/3B में रिवर्स की गई थी। यह देखा जा सकता है कि 4 मई 2019 को अगस्त 2018 महीने की कर देयता का भुगतान करने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में केवल ₹ 1,42,92,687 का आई.जी.एस.टी. शेष बचा था। सितंबर 2018 महीने के लिए जीएसटीआर-3बी में घोषित कर देयता के अनुसार, जिसका भुगतान 25 अक्टूबर 2018 तक किया जाना था, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से 196 दिनों की देरी से 9 मई 2019 को किया गया; कर देयता को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पर्याप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं था। ₹ 0.72 करोड़ (50,460+1,06,98,112+1,06,98,112-1,42,92,687) की शेष कर देयता पर 196 दिनों के लिए 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ₹ 0.07 करोड़ का ब्याज देय था।

करदाता ने वर्ष 2018-19 के लिए ब्याज का भुगतान नहीं किया। हालांकि, संवीक्षा के दौरान इस मामले का पता नहीं चल पाया क्योंकि करदाता को जारी किए गए फॉर्म ए.एस.एम.टी.-10 में नोटिस, फॉर्म डी.आर.सी.-01 में कारण बताओ नोटिस और फॉर्म डी.आर.सी.-05 में अंतिम आदेश में इस मामले का उल्लेख नहीं किया गया था।

विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (अप्रैल 2025) और तीन मामलों में डी.आर.सी.-08 के माध्यम से सुधार आदेश और दो मामलों में डी.आर.सी.-01 जारी किया।

- राज्य कर उपायुक्त, गुरुग्राम (दक्षिण) में, हालांकि करदाता से संबंधित 2018-19 के तुलनात्मक सारांश के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंत में जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी के बीच समग्र कर देयता में कोई अंतर नहीं पाया गया था, फिर भी अक्टूबर 2018 में जीएसटीआर-1 (₹ 2,04,26,337) और जीएसटीआर-3बी (₹ 1,30,01,513) के बीच घोषित कर देयता में ₹ 0.74 करोड़ का अंतर था। 2018-19 के लिए इलेक्ट्रॉनिक

क्रेडिट/कैश लेजर (ई.सी.एल.) की संवीक्षा करते समय यह पाया गया था कि जीएसटीआर-3बी देयता के अनुसार ₹ 1.30 करोड़ (क्रेडिट ₹ 63,11,306.00+कैश आई.जी.एस.टी. ₹ 43,99,311.00 + सी.जी.एस.टी. ₹ 11,45,448 + एस.जी.एस.टी. ₹ 11,45,448) का भुगतान किया गया था। अक्टूबर 2018 के लिए जीएसटीआर-3बी की देय तिथि 20 नवंबर 2018 थी। समाधान के अभाव में, जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी में से जिसकी देयता अधिक हो, उसका भुगतान किया जाना था। अक्टूबर 2018 के अंत में ई.सी.एल. (क्रेडिट) में शून्य शेष था।

यह आगे देखा गया था कि मार्च 2019 महीने में जीएसटीआर-1 की ₹ 2.25 करोड़ की कर देयता की तुलना में जीएसटीआर-3बी की कर देयता को ₹ 3.00 करोड़ तक बढ़ाकर, ₹ 0.75 करोड़ की कुल कर देयता का समाधान किया गया था। इस मामले में उचित अधिकारी ए.एस.एम.टी.-10, डी.आर.सी.-01 और डी.आर.सी.-07 जारी करते समय इस बिंदु को उठाने में विफल रहे। अतः इसके परिणामस्वरूप, अक्टूबर 2018 से मार्च 2019 महीनों के दौरान कर देयता का कम भुगतान हुआ। मार्च 2019 के लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न/भुगतान 23 जुलाई 2019 को किया गया था। उपर्युक्त अधिसूचना की धारा 88बी (2) के अनुसार, ₹ 0.09 करोड़ का ब्याज उद्गाह्य था।

यह इंगित किए जाने पर, विभाग ने बताया (जून 2025) कि इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।

(च) अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करना

जीएसटीआर-2ए एक खरीद से संबंधित गतिशील कर रिटर्न है जो जीएसटी पोर्टल द्वारा प्रत्येक व्यवसाय के लिए स्वतः जनरेट होती है, जबकि जीएसटीआर-3बी एक मासिक विवरणी है जिसमें बाहरी आपूर्ति के सारांश के साथ घोषित इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर के भुगतान की घोषणा करदाता द्वारा स्वयं की जाती है। प्राप्त किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की सत्यता की जांच करने के लिए, जीएसटीआर-2ए से संबंधित डेटा और उसमें किए गए संशोधनों की तुलना जीएसटीआर-3बी में प्राप्त किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट से की गई थी।

राज्य कर उपायुक्त, फरीदाबाद (पूर्व) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2018-19 के लिए एक करदाता द्वारा जीएसटीआर-3बी के अनुसार प्राप्त किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट से अधिक था। वेब पोर्टल के माध्यम से डीलर की निर्धारण फाइल की संवीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि तुलना पत्र के अनुसार, करदाता ने जीएसटीआर-3बी में ₹ 10.93 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया था, जबकि जीएसटीआर-2ए में ₹ 10.32 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.61 करोड़ का कुल अंतर पाया गया। हालांकि, विभाग ने जीएसटीआर-3बी-2ए में ₹ 0.59 करोड़ के अंतर के लिए नोटिस जारी किया (मार्च 2022)। वेब पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जीएसटीआर-2ए में ₹ 0.01 करोड़ का उपकर इनपुट टैक्स क्रेडिट शामिल है, जिसका दावा करदाता द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसलिए, जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध सी.जी.एस.टी., एस.जी.एस.टी. और आई.जी.एस.टी. का वास्तविक इनपुट टैक्स क्रेडिट ₹ 10.30 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप जीएसटीआर-3बी-2ए में ₹ 0.63 करोड़ का

वास्तविक अंतर (सी.जी.एस.टी., एस.जी.एस.टी. और आई.जी.एस.टी.) हुआ। उचित अधिकारी ए.एस.एम.टी.-10 में इस बिंदु को उठाने में विफल रहे और ए.एस.एम.टी.-12 (मामला बंद) जारी कर दिया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.63 करोड़ का अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया गया (परिशिष्ट-2.25)।

जून 2025 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि करदाता को डी.आर.सी.-01 जारी कर दिया गया था।

2.3.9.2 रिटर्न फाइल न करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू नहीं की गई

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 68 के साथ पठित केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 46 यह निर्धारित करती है कि यदि करदाता नियत तिथि के भीतर रिटर्न फाइल करने में विफल रहता है, तो उसे फॉर्म जी.एस.टी.आर.-3ए में एक नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें उसे 15 दिनों के भीतर रिटर्न फाइल करने के लिए कहा जाएगा। यदि करदाता ऐसे नोटिस के बाद भी रिटर्न फाइल करने में विफल रहता है, तो उचित अधिकारी उपलब्ध या एकत्रित की गई सभी प्रासंगिक सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए, अपने सर्वोत्तम विवेक से उक्त व्यक्ति की कर देयता का निर्धारण कर सकते हैं और फॉर्म ए.एस.एम.टी.-13 में एक निर्धारण आदेश जारी कर सकते हैं। ऐसे आदेश का सारांश सिस्टम पर फॉर्म डी.आर.सी.-07 में अपलोड किया जाना चाहिए।

आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा ने ज्ञापन संख्या 45/जीएसटी-2 दिनांक 9 जनवरी 2020 के माध्यम से रिटर्न फाइल न करने वालों के मामले में पालन की जाने वाली एक मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) जारी की है। इस मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, यदि फॉर्म ए.एस.एम.टी.-13 में निर्धारण आदेश जारी होने की 30 दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर उक्त रिटर्न फाइल नहीं की जाती है, तो उचित अधिकारी अधिनियम की धारा 78 के तहत कार्यवाही और धारा 79 के तहत वसूली की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। हालांकि, उपयुक्त मामलों में, मामले के तथ्यों के आधार पर आयुक्त फॉर्म ए.एस.एम.टी.-13 जारी करने से पहले भी अधिनियम की धारा 83 के तहत राजस्व की रक्षा के लिए अनंतिम कुर्की का सहारा ले सकते हैं। रिटर्न (जी.एस.टी.आर.-3बी) फाइल करना कर के भुगतान से संबंधित है क्योंकि दोनों कार्यों की नियत तिथि एक ही होती है, जिसका अर्थ है कि रिटर्न फाइल करने वालों के मामले में कर का भुगतान न होने का जोखिम बना रहता है। इसी प्रकार, देर से रिटर्न फाइल करने वालों के मामले में कर के विलंबित भुगतान का जोखिम होता है।

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2020-21 से 2023-24 के लिए पांच राज्य कर उपायुक्तों²³ के अभिलेखों की जांच की। बावेब पोर्टल पर उपलब्ध रिटर्न फाइल न करने वालों और रिटर्न चूककर्ताओं के सर्वोत्तम विवेक निर्धारण से संबंधित एम.आई.एस. रिपोर्टों की समीक्षा की गई थी और लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि चयनित सभी पांच राज्य कर उपायुक्तों में करदाताओं को ए.एस.एम.टी.-13 में सर्वोत्तम विवेक निर्धारण आदेश जारी नहीं किए गए थे (परिशिष्ट 2.26)।

²³ अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद (पूर्व), गुरुग्राम (दक्षिण) और सोनीपत।

इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि निर्माण अनुबंध सेवाओं में शामिल करदाताओं से संबंधित विशिष्ट एम.आई.एस. रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी।

जून 2025 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि शीर्ष करदाताओं और अन्य बड़े करदाताओं की रिटर्न फाइलिंग स्थिति की वार्ड स्तर और जिला स्तर पर नियमित रूप से निगरानी की जा रही थी। पंजीकरण रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने का एक अंतर्निहित तंत्र उन लोगों के लिए मौजूद है जिन्होंने लगातार छः महीनों तक रिटर्न फाइल नहीं की है (नियम (21 एच एवं आई))। इसके अलावा, दिनांक 01 सितंबर 2021 से नियम 56 (6) लागू है, जो दो महीने की चूक के बाद जी.एस.टी.आर.-1/आईएफएफ फाइल करने पर रोक लगाता है। नियम 138 ई (बी) के अनुसार, पिछली दो कर अवधियों तक मासिक रिटर्न फाइल न करने वाला करदाता ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएगा। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान देखे गए किसी भी रेड-फ्लैग के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। इस प्रकार, रिटर्न फाइल न करने वालों और देर से फाइल करने वालों की निगरानी के लिए एक प्रभावी और पर्याप्त तंत्र मौजूद था। विभाग का उद्देश्य, चूककर्ताओं को रिटर्न फाइल न करने वाले और देरी से फाइल करने वाले के रूप में चिह्नित किए जाने के बाद, उनके विरुद्ध की जाने वाली प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई के पहलू का समाधान नहीं करता है।

2.3.9.3 रिफंड दावों के प्रसंस्करण और भुगतान में प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र

वस्तु एवं सेवा कर रिफंड को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 89 से 97ए द्वारा शासित होते हैं। नियम 89 (1) के तहत, धारा 55 के तहत जारी अधिसूचना में शामिल व्यक्तियों को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति जो धारा 49 की उप-धारा (6) के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक केश लेजर में मौजूद किसी भी शेष राशि (बैलेंस) के रिफंड का दावा कर रहा है, या उसके द्वारा भुगतान किए गए किसी भी कर, ब्याज, पेनल्टी, फीस या किसी अन्य राशि, भारत के बाहर निर्यात की गई वस्तुओं पर भुगतान किए गए एकीकृत कर के रिफंड के अलावा, के लिए रिफंड का दावा करना चाहता है, वह धारा 49 की उप-धारा (6) के प्रावधानों के अनुसार या नियम 10बी के प्रावधानों के अधीन, कॉमन पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म जी.एस.टी. रिफंड-01 में आवेदन कर सकता है। इसके अतिरिक्त, वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 92 के अनुसार, रिफंड स्वीकृत करने की एकमात्र शक्ति उचित अधिकारी-सह-निर्धारण प्राधिकारी के पास होती है।

विभागीय क्षेत्रीय इकाइयों के कार्यों के मूल्यांकन के लिए चयनित सभी पांच डी.सी.एस.टी. में, लेखापरीक्षा ने वस्तु एवं सेवा कर रिफंड तंत्र से संबंधित जानकारी एवं अभिलेखों की मांग की थी कि क्या उचित अधिकारी से वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा एक लाख रुपये से अधिक की स्वीकृत रिफंड-06 की बाद में जांच की गई थी (परिशिष्ट-2.27)। आवश्यक विवरण या फाइलें प्रस्तुत न किए जाने के कारण, लेखापरीक्षा विभाग द्वारा अपनाई गई समग्र प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी करने में असमर्थ है और विभाग में वस्तु एवं सेवा कर रिफंड तंत्र की प्रभावशीलता की जांच नहीं कर सकी।

विभाग ने बताया कि ज्ञापन संख्या 610/जीएसटी-II दिनांक 22 नवंबर 2022 के माध्यम से निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें ₹ दो करोड़ से अधिक की किसी भी रिफंड राशि को स्वीकृत करने से पहले डी.ई.टी.सी. से पूर्व-अनुमोदन लेना अनिवार्य कर दिया गया है और पत्र संख्या 539/जीएसटी-II, पंचकुला दिनांक 03 जून 2024 के माध्यम से उक्त मौद्रिक सीमा को बदलकर ₹ 10 लाख कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, निर्देश संख्या 03/2024/जीएसटी-I के माध्यम से डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) को जी.एस.टी. में अंतर-जिला संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, ताकि वे बिना किसी मौद्रिक सीमा के अन्य जिलों के उपयुक्त अधिकारियों द्वारा जारी रिफंड आदेशों बाद में लेखापरीक्षा कर सकें।

चूंकि विभागीय क्षेत्रीय इकाइयों ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान करदाताओं को जारी किए गए रिफंड का आवश्यक विवरण प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए लेखापरीक्षा रिफंड के मामलों का सत्यापन करने और उन पर टिप्पणी करने में असमर्थ रही।

2.3.9.4 अभिलेखों का रखरखाव

लेखापरीक्षा ने विभागीय फ़िल्ड इकाइयों के कार्यों के मूल्यांकन के लिए चुने गए सभी पांच डी.ई.टी.सी. से संबंधित मांग पत्र जारी किए (परिशिष्ट-2.28)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि डी.ई.टी.सी. ने न तो भौतिक रूप में और न ही डिजिटल रूप में ऐसे अभिलेखों का रखरखाव किया था जो आंतरिक विभागीय समीक्षा या लेखापरीक्षा के लिए आसानी से उपलब्ध हो सकें।

जून 2025 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि वस्तु एवं सेवा कर एक वेब-आधारित प्रणाली है जिसमें पंजीकरण, संशोधन, निरस्तीकरण, निरसन, जांच, लेखापरीक्षा, वसूली आदि सहित सभी प्रक्रियाएं बोवेब पोर्टल पर ऑनलाइन की जाती हैं और सभी संबंधित डेटा डिजिटल मोड में बोवेब पोर्टल पोर्टल पर सुरक्षित रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, कारण बताओ नोटिस जारी करने, करदाता द्वारा उत्तर प्रस्तुत करने और अंतिम निर्णय आदेश जारी करने सहित सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन की जाती हैं। विभाग ने एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया (जून 2025) कि अभिलेख प्रस्तुत न करने की स्थिति से बचने के लिए शीघ्र ही डी.सी.एस.टी. को निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.3.10 निष्कर्ष

हरियाणा में वस्तु एवं सेवा कर के तहत कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस.एस.सी.ए.) यह जांच करने के लिए आयोजित की गई थी कि क्या कर प्रबंधन कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं में शामिल करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने में प्रभावी था और विभाग द्वारा कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं से संबंधित करदाताओं की संवीक्षा और मूल्यांकन की प्रभावशीलता का आकलन किया जाना था।

12 जोखिम मापदंडों के आधार पर, आठ डी.सी.एस.टी. से 30 करदाताओं को विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। हालांकि, 18 मामलों में करदाताओं के विस्तृत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने में ₹ 37.69 करोड़ की अनियमितता/विसंगति और भुगतान न की गई कर देयता से संबंधित पहचाने गए जोखिमों की लेखापरीक्षा द्वारा विस्तृत जांच नहीं की जा सकी।

दायरा सीमित होने के बावजूद, लेखापरीक्षा में छूट और रियायती दरों का गलत तरीके से लाभ उठाने, अग्रिमों एवं अचल संपत्तियों पर कर का भुगतान न करने और ब्याज का कम भुगतान करने के ऐसे मामले सामने आए, जिनके कारण कुल ₹ 389.07 करोड़ की अनुपालन संबंधी अनियमितताएं पाई गईं। लेखापरीक्षा में अनुचित जांच के मामले भी सामने आए, जिसके परिणामस्वरूप कार्यात्मक लेखापरीक्षा में कर का कम भुगतान, टर्नओवर को छिपाना, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान न होना और ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ, जिसकी राशि ₹ 4.83 करोड़ थी।

करदाता द्वारा नियमों का पालन न करना और विभागीय कार्रवाई में कमजोरी, सामूहिक रूप से जोखिम की संभावना वाले कार्य अनुबंध/निर्माण क्षेत्र में वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न की सत्यता और कर प्रबंधन की प्रभावशीलता को कमजोर करते हैं। जब तक सख्त प्रवर्तन, मजबूत आंतरिक नियंत्रण और निरंतर निगरानी के माध्यम से इनका समाधान नहीं किया जाता, तब तक ऐसी कमियां राज्य के राजस्व की सुरक्षा के लिए जोखिम बनी रहेंगी।

2.3.11 सिफारिशें

सरकार निम्नलिखित पर विचार करे:

1. लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं के विस्तृत अभिलेख प्राप्त करने और उपलब्ध कराने के लिए एक तंत्र स्थापित करना;
2. कार्य अनुबंध/निर्माण सेवाओं के संबंध में, सभी संबंधित कर अधिकारियों द्वारा अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना;
3. यह सुनिश्चित करना कि विभाग रिटर्न और लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की सत्यता की जांच करे तथा रिटर्न में पाई गई विसंगतियों या अनियमितताओं पर उचित कार्रवाई शुरू करे; तथा
4. यह सुनिश्चित करना कि विभाग जीएसटीआर-3बी रिटर्न फाइल न करने वालों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करे, जिसके लिए एम.आई.एस. रिपोर्ट पहले से ही बोवेब पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

2.4 अंतिम स्टॉक पर कर का अनुद्ग्रहण

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय अंतिम स्टॉक के संदर्भ में पांच डीलरों की बिक्रियों के विवरणों का सत्यापन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.67 करोड़ के कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

30 जून 2017 को, हरियाणा मूल्य वर्धित कर (एच.वी.ए.टी.) अधिनियम 2003 के तहत पंजीकृत डीलर, जिसके पास अंतिम स्टॉक मौजूद था लेकिन उसने वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) प्रणाली में माइग्रेशन नहीं किया था, उसे वैट व्यवस्था के तहत अपना व्यवसाय बंद करने वाला माना जाना था। तदनुसार, पिछले सभी टैक्स क्रेडिट को हटाकर अंतिम स्टॉक पर कर लगाया जाना था, ताकि डीलर के सिस्टम से बाहर निकलने से पहले वस्तुओं पर पूर्ण वैट मूल्य की वसूली की जा सके।

कर के पुनःनिर्धारण से संबंधित हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 17 में सितंबर 2015 में संशोधन किया गया था, ताकि उस समय सीमा को बढ़ाया जा सके जिसके भीतर कर-निर्धारण प्राधिकारी कर का पुनःनिर्धारण कर सके। इसके तहत, आयुक्त को उस वर्ष की समाप्ति के आठ वर्ष पूरे होने से पहले, या उस वर्ष का निर्धारण अंतिम होने की तिथि से तीन वर्ष पूरे होने से पहले, जो भी बाद में हो, किसी भी समय पुनः निर्धारण करने की अनुमति दी गई थी।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर), {डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)}, गुरुग्राम (पूर्व) के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2023) से पता चला कि वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही के अंत में पांच व्यापारियों ने अपने रिटर्न में ₹ 73.93 करोड़ का अंतिम स्टॉक दर्शाया था। कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा इन व्यापारियों के कर का निर्धारण (जुलाई 2018 और मार्च 2021 के बीच) हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 15 (4)²⁴ के तहत किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण आदेश पारित करते समय, कर-निर्धारण प्राधिकारी ने जी.एस.टी. पोर्टल पर इन व्यापारियों के जी.एस.टी. में माइग्रेशन को क्रॉस-चेक नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2017-18 के लिए अंतिम स्टॉक पर कर नहीं लगाया गया, जिससे ₹ 6.67 करोड़ के कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, आबकारी एवं कराधान अधिकारी-सह-कर-निर्धारण प्राधिकारी, गुरुग्राम (पूर्व) ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (अप्रैल 2025) और बताया कि हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 17 के तहत अतिरिक्त मांग सृजित करते हुए पुनःनिर्धारण की कार्यवाही शुरू कर दी गई है और डीलर को वैट एन-2²⁵ जारी कर दिया गया है तथा अंतिम परिणाम के बारे में तदनुसार अवगत करा दिया जाएगा।

²⁴ हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 15(4) के अनुसार, यदि कोई डीलर निर्धारित तिथि तक रिटर्न फाइल करने में विफल रहता है, या यदि कर-निर्धारण प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट नहीं है कि रिटर्न सही और पूर्ण हैं, तो वे अपने सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर देय कर का निर्धारण कर सकते हैं।

²⁵ फॉर्म वैट-एन2 एक वैधानिक नोटिस है जो कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर देयता के निर्धारण या पुनःनिर्धारण के उद्देश्य से किसी डीलर को जारी किया जाता है। यह नोटिस डीलर को कानूनी रूप से बाध्य करता है कि वह स्वयं या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो, और अपने अंतिम वैट रिटर्न या स्टॉक की घोषणा के समर्थन में आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करें।

मामला जनवरी 2025 में आबकारी एवं कराधान विभाग के पास भेजा गया था और अप्रैल 2025 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (फरवरी 2026)।

2.5 कर की कम दर लागू करने/कर उद्ग्रहित न करने के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय वस्तुओं की बिक्री पर लागू कर की दर से कम दर लागू की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.31 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ, इसके अतिरिक्त, ₹ 2.47 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रह्य था।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 7, अनुसूची 'ए' से 'जी' में निर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री के टर्नओवर पर कर उद्ग्रहण का प्रावधान करती है। हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 7 (1) (ए) (iv) के अनुसार, किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु 1 जुलाई 2005 से 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। कर पर पांच प्रतिशत की दर से अधिभार और ब्याज क्रमशः हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 7 (ए) (2) अप्रैल 2010) और हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 14 (6) के तहत उद्ग्रह्य था।

चार डी.ई.टी.सी.²⁶ (एस.टी.) के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2023 और मार्च 2024 के मध्य) से पता चला कि कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने वर्ष 2016-17 से 2017-18 के लिए 11 डीलरों से संबंधित 11 मामलों में कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (नवंबर 2019 और मार्च 2021 के मध्य), माल की बिक्री पर लागू कर की दर से कम दरें²⁷ लागू की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.31 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 2.47 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रह्य था।

यह इंगित किए जाने पर, कर-निर्धारण प्राधिकारी, फरीदाबाद (उत्तर) और कर-निर्धारण प्राधिकारी, गुरुग्राम (पूर्व) ने बताया कि छः मामलों में पुनःनिर्धारण कर दिया गया था और ₹ 3.72 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी तथा डीलरों को वसूली के नोटिस जारी कर दिए गए थे। दो मामलों में, कर-निर्धारण प्राधिकारी, गुरुग्राम (पूर्व) ने बताया कि धारा 17 के तहत पुनःनिर्धारण के नोटिस जारी किए गए थे। दो मामलों में, कर-निर्धारण प्राधिकारी, मेवात और फतेहाबाद ने बताया कि पुनरीक्षण कार्रवाई शुरू करने के लिए मामले पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिए गए थे। एक मामले में, कर-निर्धारण प्राधिकारी, गुरुग्राम (पूर्व) ने बताया कि डी-नोवो निर्धारण प्रक्रियाधीन था और मामले के अंतिम परिणाम से लेखापरीक्षा को तदनुसार अवगत करा दिया जाएगा।

मामला जनवरी 2025 में आबकारी एवं कराधान विभाग के पास भेजा गया था और मार्च 2025 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (फरवरी 2026)।

²⁶ फरीदाबाद (उत्तर), फतेहाबाद, गुरुग्राम (पूर्व) और मेवात।

²⁷ 5.25 से 13.125 प्रतिशत के बजाय, पांच मामलों में 4.2 से 5.25 प्रतिशत और छः मामलों में शून्य।

2.6 अवैध 'सी' फार्मों के विरुद्ध कर की रियायती दर की अनुमति के कारण कर के अवनिर्धारण के परिणामस्वरूप डीलरों को अनुचित लाभ

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय सांविधिक प्रपत्रों के सत्यापन के बिना कर की रियायती दर की अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.98 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 2.93 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (सी.एस.टी. अधिनियम) की धारा 8(4) में प्रावधान है कि उप-धारा (1) के अंतर्गत रियायत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी बिक्री पर लागू नहीं होगी जब तक कि पंजीकृत डीलर, जिसे माल बेचा गया है, के द्वारा विधिवत् भरा गया और हस्ताक्षरित घोषणा पत्र डीलर, कर-निर्धारण प्राधिकारी (ए.ए.) को प्रस्तुत न करे और जिसमें प्राधिकारी से प्राप्त एक निर्धारित फार्म में विवरण हों। इसके अतिरिक्त, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत, झूठी सूचना और गलत लेखाओं या दस्तावेजों इत्यादि के आधार पर दावों के लिए दंडक कार्रवाई (कर अपवंचन का तीन गुणा जुर्माना) का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, हरियाणा सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) (जनवरी 2018) के अनुसार, जिन मामलों में कर निर्धारण आदेश की तिथि से या सत्यापन पत्र भेजने की तिथि से, जो भी बाद में हो, छः महीने के भीतर सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, वहां कर-निर्धारण प्राधिकारी को हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम या नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर और जुर्माना उद्ग्रहण करना चाहिए।

अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2023 और मार्च 2024 के मध्य) से पता चला कि 2016-17 से 2017-18 के लिए डी.ई.टी.सी. (बिक्री कर), हांसी, झज्जर (बहादुरगढ़) तथा नारनौल के कार्यालय में सात मामलों में चार डीलरों ने ₹ 8.77 करोड़ की अपनी अंतर-राज्यीय बिक्री राशि पर कर की रियायती दर का दावा किया। दावों के समर्थन में, डीलरों ने सात 'सी' फॉर्म²⁸ जमा किए। संबंधित कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने जून 2019 और मार्च 2021 के मध्य निर्धारणों को अंतिम रूप दिया और पूर्वोक्त अनुदेशों के अनुसार सत्यापन के बिना दाखिल किए गए घोषणा-पत्रों के विरुद्ध कर की रियायती दर की अनुमति दी।

जारीकर्ता प्राधिकरण (दिल्ली मूल्य वर्धित कर) की वेबसाइट पर प्रपत्रों के सत्यापन के दौरान यह पाया गया था कि हांसी और नारनौल से संबंधित दो मामलों में, खरीदारी करने वाले डीलरों का पंजीकरण लेनदेन की तारीख से पहले ही निरस्त कर दिया गया था। डी.ई.टी.सी. (बिक्री कर), झज्जर (बहादुरगढ़) से संबंधित पांच मामलों में 'सी' फॉर्म रद्द या वास्तविक नहीं पाए गए। इस प्रकार, बिना उचित सत्यापन के कर की रियायती दर की अनुमति देने के परिणामस्वरूप कर के रूप में ₹ 0.98 करोड़ का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 2.93 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर, आबकारी एवं कराधान अधिकारी, हिसार, आबकारी एवं कराधान अधिकारी, बहादुरगढ़ (झज्जर) तथा आबकारी एवं कराधान अधिकारी, नारनौल ने तथ्यों को स्वीकार किया (जून 2025) और बताया कि झज्जर (बहादुरगढ़) और हांसी के पांच मामलों में

²⁸ बहादुरगढ़-1, हांसी-1, झज्जर (बहादुरगढ़)-4 और नारनौल-1

₹ 3.06 करोड़ की पेनल्टी सहित ₹ 4.09 करोड़ के कर की मांग सृजित करके पुनःनिर्धारण कर दिया गया था। डीलरों को वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिए गए थे और बकाया राशि की वसूली के प्रयास किए जाएंगे। बहादुरगढ़ और नारनौल के शेष दो मामलों में, डीलर ने ओ.टी.एस. योजना का विकल्प चुना था और ₹ 5.18 लाख जमा किए थे। हालांकि, दावे के समर्थन में दस्तावेज अभिलेख पर उपलब्ध नहीं थे।

मामला नवंबर 2024 में आबकारी एवं कराधान विभाग के पास भेजा गया था और फरवरी 2025 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (फरवरी 2026)।

2.7 अस्वीकार्य/अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने सत्यापन किए बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ की अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप पेनल्टी सहित ₹ 2.32 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत प्रदानगी हुई।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 8 (2015 में संशोधित) यह प्रावधान करती है कि एक वैट डीलर द्वारा खरीदे गए किसी भी माल पर इनपुट टैक्स उसके ऐसे माल की बिक्री पर राज्य को भुगतान किए गए कर की राशि होगी। इसके अतिरिक्त, हरियाणा सरकार द्वारा सितंबर 2015 में जारी अधिसूचना के अनुसार, इनपुट टैक्स का अर्थ उस कर से है जो वास्तव में वैट डीलर को बेची गई वस्तुओं के संबंध में राज्य को भुगतान किया गया है, जिसका क्रेडिट लेने की अनुमति ऐसे डीलर को हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार स्वयं द्वारा किए गए वास्तविक कर भुगतान के रूप में दी जाती है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हरियाणा ने मार्च 2006 और जुलाई 2013 में निर्देश जारी किए थे कि कर के वास्तविक भुगतान के चरण तक इनपुट टैक्स क्रेडिट का शत-प्रतिशत सत्यापन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 38 में झूठी सूचना और गलत लेखाओं या दस्तावेजों इत्यादि के आधार पर दावों के लिए दंडात्मक कार्रवाई (कर अपवंचन का तीन गुणा जुर्माना) का प्रावधान है।

तीन डी.ई.टी.सी. (बिक्री कर) गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (उत्तर) और मेवात के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2023 और फरवरी 2024 के मध्य) से पता चला कि कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने चार डीलरों से संबंधित पांच मामलों में वर्ष 2016-17 से 2017-18 के लिए कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (अप्रैल 2019 और मार्च 2021 के मध्य), विक्रेता डीलरों से खरीद और कर के वास्तविक भुगतान के सत्यापन के बिना ही ₹ 65.86 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ की अनुमति दे दी।

लेखापरीक्षा द्वारा संबंधित डीलरों की बिक्री/खरीद सूचियों के क्रॉस-सत्यापन पर यह पाया गया था कि तीन मामलों में विक्रेता डीलरों ने खरीदार डीलरों को की गई किसी भी बिक्री को नहीं दर्शाया था और दो मामलों में डीलरों ने परिधानों के निर्यात पर राज्य शुल्कों में छूट (आर.ओ.एस.एल.) योजना का विकल्प चुनने के कारण तथा कर-मुक्त बिक्री के विरुद्ध अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 65.86 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत प्रदानगी हुई, इसके अतिरिक्त, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अनुसार ₹ 1.67 करोड़ की पेनल्टी भी उद्घाट्य थी।

यह इंगित किए जाने पर, पांच मामलों²⁹ में डी.ई.टी.सी. ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (फरवरी 2026) कि इन मामलों में ₹ 1.28 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी। वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी गई थी तथा मार्च 2025 और जनवरी 2026 के मध्य डीलरों को वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिए गए थे।

मामला अप्रैल 2025 में आबकारी एवं कराधान विभाग के पास भेजा गया था और दिसंबर 2025 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (फरवरी 2026)।

2.8 अयोग्य डीलरों को जारी किए गए फॉर्म वैट-डी1 के विरुद्ध बिक्री की अनुमति देने के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने अयोग्य डीलरों को जारी किए गए वैट-डी1 के आधार पर तीन डीलरों को रियायती बिक्री की अनुमति प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.16 करोड़ की राशि के कर का अवनिर्धारण हुआ।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 7 (2) (बी) और 7 (3) (ए) के साथ पठित नियम 17 के तहत, किसी डीलर द्वारा अपने करयोग्य टर्नओवर पर देय कर की गणना चार प्रतिशत की दर से की जाएगी, जहां तक ऐसा टर्नओवर उप-धारा (4) में वर्णित उन वस्तुओं से संबंधित है जो किसी वैट डीलर को बेची गई हैं, बशर्ते कि खरीदार डीलर निर्धारित प्राधिकारी से प्राप्त फॉर्म वैट-डी 1 में निर्धारित विवरणों सहित विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्रस्तुत करे। यदि कोई पंजीकृत डीलर अपना व्यवसाय बंद कर देता है या किसी अन्य कारण से उसका पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया जाता है, तो वह तत्काल उपयोग किए गए घोषणा फॉर्मों का भाग बी प्रस्तुत करेगा और अपने पास मौजूद अप्रयुक्त फॉर्मों को संबंधित कर-निर्धारण प्राधिकारी को सौंप देगा और यदि वह इन फॉर्मों को प्रस्तुत करने या सौंपने में विफल रहता है, तो उन्हें उसके व्यवसाय बंद होने की तिथि या पंजीकरण निरस्त होने की तिथि से, जैसा भी मामला हो, अमान्य घोषित मान लिया जाएगा।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), चरखी दादरी, गुरुग्राम (पूर्व) और गुरुग्राम (उत्तर) के कार्यालयों के वर्ष 2016-17 के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2023 और मार्च 2024 के मध्य) से पता चला कि कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने तीन डीलरों के कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (अगस्त 2019 और जनवरी 2020 के मध्य) वैट-डी1 के विरुद्ध ₹ 52.21 करोड़ की रियायती बिक्री की अनुमति दी। विभागीय पोर्टल पर सत्यापन करने पर पाया गया कि खरीदारी करने वाले डीलर खुदरा विक्रेता थे और वे व्यापारिक वस्तुओं की खरीद के लिए रियायती कर दर पर वैट-डी1 फॉर्म का उपयोग करने के पात्र नहीं थे। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, फॉर्म वैट-डी1 के विरुद्ध खरीदी गई वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अयोग्य डीलरों को जारी किए गए वैट-डी1 के विरुद्ध रियायती बिक्री की अनुमति देने के परिणामस्वरूप ₹ 2.16 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

²⁹ गुरुग्राम (पूर्व)-2, गुरुग्राम (उत्तर)-2 और मेवात-1

यह इंगित किए जाने पर, आबकारी एवं कराधान अधिकारी, गुरुग्राम (उत्तर) ने बताया (अप्रैल 2025) कि डीलर को पुनःनिर्धारण के लिए नोटिस जारी कर दिया गया था। आबकारी एवं कराधान अधिकारी, गुरुग्राम (पूर्व) ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (अप्रैल 2025) कि हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 17 के तहत ₹ 2.24 करोड़ की पेनल्टी सहित ₹ 3.60 करोड़ की मांग सृजित करके मूल आदेश का पुनःनिर्धारण किया गया था और वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी गई थी। आबकारी एवं कराधान अधिकारी, चरखी दादरी ने बताया (अक्टूबर 2024) कि मामला स्वतः कार्रवाई के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजा गया था।

मामला दिसंबर 2024 में आबकारी एवं कराधान विभाग के पास भेजा गया था और अप्रैल 2025 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (फरवरी 2026)।

2.9 ब्याज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर का भुगतान न करने पर या तो ब्याज उद्ग्रहण नहीं किया या कम ब्याज उद्ग्रहण किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.94 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 14 (6) यह निर्धारित करती है कि यदि कोई भी डीलर कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह उसके द्वारा देय कर के अतिरिक्त एक प्रतिशत प्रतिमाह यदि भुगतान नब्बे दिनों के भीतर कर दिया जाए और दो प्रतिशत प्रतिमाह यदि कर के भुगतान के लिए निर्दिष्ट तिथि से उस तिथि तक जब वह भुगतान करता है, पूरी अवधि के लिए चूक नब्बे दिनों से अधिक जारी रहती है, की साधारण ब्याज दर पर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। हालांकि, इस अधिनियम के तहत उद्ग्रह्य ब्याज, कर के भुगतान न करने या देर से भुगतान करने पर लगने वाले उस कर या पेनल्टी की राशि से अधिक नहीं होगा, जिस पर ऐसा ब्याज प्रभारित है।

डी.ई.टी.सी.³⁰ (बिक्री कर) भिवानी, गुरुग्राम (उत्तर) और झज्जर के अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2023 और मार्च 2024 के मध्य) से पता चला कि पांच डीलरों ने अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान नहीं किया था। वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (जून 2019 और जनवरी 2020 के मध्य), कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने पांच मामलों में या तो ब्याज उद्ग्रहित नहीं किया या कम ब्याज उद्ग्रहित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.94 करोड़ के ब्याज का अनुद्ग्रहण हुआ या कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, कर-निर्धारण प्राधिकारी, गुरुग्राम (उत्तर) ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि एक मामले में पुनःनिर्धारण कर दिया गया था और डीलर ने ओ.टी.एस. योजना का विकल्प चुना था तथा ₹ 5.82 लाख जमा किए गए थे, जबकि एक अन्य मामले में डीलर को नोटिस जारी किया गया था। एक मामले में कर-निर्धारण प्राधिकारी, भिवानी ने स्वीकार

³⁰ भिवानी-1, गुरुग्राम (उत्तर)-2 और झज्जर-2

किया और बताया कि मामला स्वतः कार्रवाई के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजा गया था। झज्जर के दो मामलों के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (फरवरी 2026)।

मामला मई 2025 में आबकारी एवं कराधान विभाग के पास भेजा गया था और दिसंबर 2025 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (फरवरी 2026)।